▸▸ कृषि ▸▸ विश्लेषण ▸▸ जल प्रबंधन

कुल पृष्ठः 40

स्वदेशी पत्रिका

मूल्य 15/–रू.

माघ–फाल्गुन 2080, मार्च 2024

वैश्विक शंति के लिए भारत के ठोस प्रयास

स्वदेशी मेला

सचित्र झलक

गोड्डा, झारखंड

बोकारो, झारखंड

स्वदेशी स्वावलंबन अभियान – जागरुकता कार्यक्रम

सिपाझार, असम

स्वदेशी पत्रिका

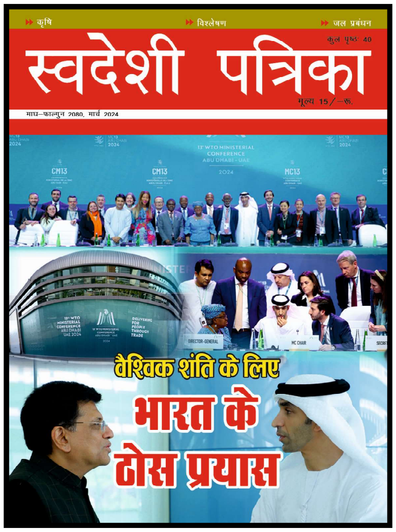

वर्ष–32, अंक–3

माघ–फाल्गुन 2080 मार्च 2024

संपादक

अजेय भारती

सह–संपादक

अनिल तिवारी

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन

सुदामा दीक्षित

कार्यालय

धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

से प्रकाशित

दूरभाष : 011–26184595

स्वदेशी जागरण समिति की ओर से डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

अ नु क्र म

आवरण कथा – पृष्ठ–08

निवेश सुविधा समझौते को रोक भारत ने की संप्रभुता और वैश्विक शांति की रक्षा

डॉ. अश्वनी महाजन

1 मुख्य पृष्ठ

2 द्वितीय मुख्य पृष्ठ

08 डब्ल्यूटीओ
अबूधाबी से आगे कैमरून तक की यात्रा?
.... डॉ. धनपत राम अग्रवाल

11 आजकल
दवा के नाम पर विष बेचने वालों पर हो कड़ा प्रहार
.... अनिल तिवारी

13 विचार
सुख के सब साधन, फिर भी घेरे है अवसाद
.... इंदु प्रकाश सिंह

15 बहस
आखिर भारत के रोड नेटवर्क से क्यों डर रहा है चीन
.... विक्रम उपाध्याय

17 खोजबीन
शिक्षित भारत में जनसंख्या घटने के संकेत
.... स्वदेशी संवाद

19 विमर्श
पिछले एक दशक में भारत ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है
.... प्रहलाद सबनानी

21 कृषि
उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे हैं किसान
.... देविन्दर शर्मा

23 विश्लेषण
चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ एवं पारदर्शी हो
.... स्वदेशी संवाद

25 मुद्दा
उत्पादन में अव्वल, लेकिन अनाज भंडारण में कमी
.... विनोद जौहरी

27 खेती–बारी
बे–मौसम बरसात से तहस–नहस हो गई दलहन–तिलहन की खेती
.... शिवनंदन लाल

29 जल प्रबंधन
पानी के बिना संकट में जिंदगानी
.... डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

31 आर्थिकी
जीडीपी दर वृद्धि से निवेश की संभावना बढ़ी
.... स्वदेशी संवाद

पाठकनामा/उन्होंने कहा **4**

समाचार परिक्रमा **36-38**

तृतीय मुख्य पृष्ठ **39**

चतुर्थ मुख्य पृष्ठ **40**

पाठकनामा

स्वदेशी गुलाल के साथ मनाए होली पर्व

होली पर्व भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पर्व हैं, जिसमें सभी जनमानस सौहार्द्र एकता के रंग में रंगे नजर आते है। इस पर्व पर देश भर के कारोबारियों में जोरदार उत्साह होता है, क्योंकि त्यौहारों में कारोबारी ग्रोथ होती है। एक अनुमान के अनुसार इस साल होली पर 25 प्रतिशत की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) के अुनसार राजधानी दिल्ली में ही करीब 1500 करोड़ रुपए के व्यापार की संभावना है। खास बात यह है कि व्यापारियों समेत आम लोगों ने भी इस साल चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया है। इस बार चीन का रसायनिक रंग नहीं, बल्कि गांव–गांव से हर्बल रंग–गुलाल आने लगा है। बड़ी संख्या में स्व–सहायता समूह की महिलाएं इसे तैयार कर रही है। जिसके कारण बाजार में लोकल प्रोडक्ट की मांग भी अधिक होने लगी है।

हर्बल गुलाल, जो रसायन रहित होता है तथा त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इस वर्ष बाजार में काफी मात्रा में दिखाई दे रहा है। यह हर्बल रंग त्वचा के साथ–साथ पर्यावरण के लिए भी लाभकारी हैं। वहीं चाइनीज रंग त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाते हैं।

महाशिवरात्रि के बाद से ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। इसको देखते हुए थोक व्यापारी–कारोबारी बड़े पैमाने पर सामान मंगाने लगे है। मशहूर बाजारों से रंग–गुलाल, पिचकारी, टोपी, झाग वाले स्प्रे आदि के साथ बनारस से भांग मिश्रित ठंडई की आवक बढ़ गयी है। अबकी बार बाजारों में देशी उत्पादों की भरमार देखी जा रही है। परंतु इसके साथ–साथ मिलावटखोर भी अपना धंधा चोखा करने की फिराक में है। केमिकलयुक्त चीन के रंग और गुलाल से आम जनता सावधान नहीं रही, तो रंग में भंग पड़ने की संभावना सदैव बनी रहती है। बाजार में मिलावटी चाइनीज रंग बड़ी मात्रा में बेंचे जा रहे हैं, इसलिए हम सभी को अतिरिक्त सुरक्षा बरतने की जरुरत है, ताकि होली के उत्साह में कोई खलल न पैदा हो।

सीमा भारद्वाज, *मध्य प्रदेश*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेलः **swadeshipatrika@rediffmail.com**

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क जमा करने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

कहा–अनकहा

पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान विभिन्न कारणों से पीछे रह जाने के बावजूद, भारत अब चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है।

नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत

अगर हमें वैश्विक महाशक्ति बनना है तो हमें खेल में सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन कर लाभ उठाना होगा। संगीत, फ़िल्में और खेल उन्नति के माध्यम हैं और हम इन सभी में अच्छे हैं।

अनुराम ठाकुर, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, भारत

सरकार चिप क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए भारत में इकाइयां स्थापित करने हेतु सेमीकंडक्टर सहायक कंपनियों को प्रोत्साहित करने की योजना लेकर आई है।

राजीव चन्द्रशेखर, आईटी राज्यमंत्री, भारत

संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की विफलता भारत के लिए एक सफलता थी, जो डब्ल्यूटीओ में विकासशील देशों के हित के लिए लड़ रहा है।

डॉ. अश्वनी महाजन, राष्ट्रीय सहसंयोजक, स्वदेशी जागरण मंच

संपादकीय

उत्तर–दक्षिण विभाजन की झूठी कहानी

हाल ही में लंदन से प्रकाशित 'दी इकोनॉमिस्ट' नाम की एक पत्रिका ने एक बेहद शरारती लेख के जरिए उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है। पत्रिका यह दावा करने की कोशिश करती है कि दक्षिण भारतीय राज्य आर्थिक .ष्टि से शेष भारत से अलग हैं। क्योंकि भारत की केवल 20 प्रतिशत आबादी पांच दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में रहती है, लेकिन इन राज्यों को कुल विदेशी निवेश का 35 प्रतिशत प्राप्त होता है। इन राज्यों ने देश के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विकास किया है और जहां 1993 में ये राज्य देश की जीडीपी का 24 प्रतिशत उत्पन्न करते थे, वहीं अब यह बढ़कर 31 प्रतिशत हो गया है। कुछ एजेंडाधर्मी लोगों को छोड़, सारा विश्व जनता है कि उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक भारत एक है। इस उपमहाद्वीप में रहने वाले सभी लोग विविध धर्मों, जातियों, भाषाओं, क्षेत्रों, वेशभूषा और खान–पान के बावजूद स्वयं को भारतीय मानते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया हैः

'उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।' वर्षम् तद् भारतम् नाम भारती यत्र सन्तिः।

इसका अर्थ है; समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित भूमि को भारत भूमि कहा जाता है और भारत की इस पवित्र भूमि पर रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है।

यह सच है कि भारत में अलग–अलग क्षेत्रों पर अलग–अलग समय में अलग–अलग शासकों का शासन था। लेकिन पूरे भारत में रहने वाले सभी लोगों के बीच एक अटूट संबंध बना रहा। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हमारे ज्योतिर्लिंग, तीर्थ और धाम इस बात के गवाह हैं कि सभी भारतीय पूरे राष्ट्र को अपना राष्ट्र मानते रहे हैं और भाषाई, क्षेत्रीय, खान–पान और अन्य विविधताएँ कभी भी इसमें बाधक नहीं बनीं। लेकिन अफसोस की बात है कि विदेशी शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसा साहित्य रचा गया और जानबूझकर इतिहास लेखन के माध्यम से झूठी कहानियां गढ़ी गईं, जिससे दक्षिण भारत के लोगों के मन में उत्तर भारत के लोगों के खिलाफ जहर भर गया। झूठा इतिहास रचा गया कि, आर्य विदेशों से आए थे और उनके क्रूर आक्रमण से द्रविड़ लोग आहत होकर दक्षिण की ओर जाने को मजबूर हुए। कहा जाता है कि इस झूठी कहानी की शुरुआत एक जर्मन प्राच्यविद् और भाषाशास्त्री ने की थी। आज प्रचुर मात्रा में वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं जो साबित करते हैं कि आर्य आक्रमण सिद्धांत पूरी तरह से एक मिथक, मनगढ़ंत और काल्पनिक है; और अवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। भारत, अमेरिका और अन्य देशों के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में प्रकाशित शोध पत्रों के अनुसार, हड़प्पा काल के वैज्ञानिक तथ्यों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मध्य एशिया से आर्यों का इतने बड़े पैमाने पर प्रवास कभी नहीं हुआ। दक्षिण में हुए विकास के आँकड़ों का सहारा लेकर, पत्रिका ने शरारतपूर्ण तरीके से इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ा और कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पास दक्षिणी राज्यों में मजबूत आधार नहीं है। पत्रिका का यह भी तर्क है कि इसलिए यह कहा जा सकता है कि वर्तमान सरकार के पास पूरे देश का जनादेश नहीं है।

गौरतलब है कि जिस देश (ब्रिटेन) में इकोनॉमिस्ट पत्रिका प्रकाशित होती है, वहां अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को चुनाव में पूरे देश से समान जनादेश नहीं मिला है। क्या इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के पास पूरे देश का जनादेश नहीं है? हमें यह भी समझना होगा कि हमारे सभी राज्यों का विकास एक–दूसरे के सहयोग से ही हो सकता है। जहां तक विकास का सवाल है, देश में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाले दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल दो दक्षिण से हैं और वह भी पांचवें और छठे स्थान पर हैं, और वह भी आईटी सेक्टर के कारण, जहां भारत के सभी हिस्सों से आने वाले लोग काम कर रहे हैं। जहां हमारे देश में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में उत्तरी राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी उत्पाद उपलब्ध कराने में दक्षिणी राज्यों के योगदान को कम नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार भारत एक परिवार की तरह है और सभी राज्य इसके सदस्य हैं। परिवार में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता; इसमें अमीर–गरीब का कोई विचार नहीं है, ज़रूरत इस बात की है कि सब मिलकर काम करें और अपने अभिन्न परिवार यानी भारत को समृद्ध बनाएं। इसके अलावा, हम 'वसुधेव कुटुंबकम' यानी संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, को मानने वाले हैं।

राजनीतिक उद्देश्यों वाले लोगों ने अब दक्षिणी राज्यों को कर धन के हस्तांतरण में भेदभाव का मुद्दा उठाकर उत्तर–दक्षिण विभाजन को एक और आयाम दे दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सहित कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने यह कहते हुए विरोध प्रदर्शन किया कि दक्षिणी राज्यों को केंद्रीय करों से उनके वैध हिस्से से वंचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कर हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय की जाती है। केंद्रीय करों के कुल हस्तांतरण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की हिस्सेदारी पिछले वित्त आयोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों में कमोबेश वही रही। हालांकि, कर्नाटक की हिस्सेदारी 4.71 प्रतिशत से घटकर 3.64 प्रतिशत हो गई। केरल का हिस्सा इस अवधि में में 2.5 प्रतिशत से घटकर 1.92 प्रतिशत हो गया। इसलिए, आँकड़े किसी भी तरह से वित्त आयोग के कथित पूर्वाग्रह को साबित नहीं करते। हमें यह समझना चाहिए कि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय सद्भाव के मुद्दों पर, हमें अलगाववादी बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता और जान कल्याण पर काफी हद तक प्रभाव डाल सकता है। अलगाववादी आवाजों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और अलगाववादी एजेंडे में शामिल अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और मीडिया से भी सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

निवेश सुविधा समझौते को रोक भारत ने की संप्रभुता और वैश्विक शांति की रक्षा

डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन अभी संपन्न हुआ है, जिसमें इस बात पर भारी उत्सुकता दिखी कि क्या डब्ल्यूटीओ में एक और प्लुरिलेटरल (बहुपक्षीय) समझौता, यानि ऐसे समझौते जिसमें डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देश शामिल न हो, जिसका नाम है विकास के लिए निवेश सुविधा समझौता (आईएफडीए) शामिल हो पायेगा? ग़ौरतलब है कि इस प्रस्तावित समझौते को 120 से अधिक देशों का समर्थन प्राप्त था, यानि इसमें विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता वाले 70 प्रतिशत से अधिक देश शामिल थे। महत्वपूर्ण है कि डब्ल्यूटीओ एक बहुपक्षीय संगठन है, इसके अधिकांश समझौते प्रकृति में बहुपक्षीय रहे हैं; जिन्हें सभी सदस्य देशों ने मान्य किया। लेकिन विश्व व्यापार संगठन के गठन से पहले भी 'गैट' के अंतर्गत भी बहुपक्षीय समझौते होने की मिसालें हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत बहुपक्षीय समझौतों की अनुमति है, लेकिन डब्ल्यूटीओ में, बहुपक्षीय समझौते नियम हैं; जबकि प्लुरिलेटरल अपवाद हैं।

आईएफडीए पर नाटक तब अचानक समाप्त हो गया जब भारत और दक्षिण अफ्रीका ने डब्ल्यूटीओ में इस प्लुरिलेटरल समझौते की कानूनी अस्वीकार्यता के बारे में डब्ल्यूटीओ में 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक पेपर प्रस्तुत किया।

वैश्विक शांति के हित में, आईएफडीए को किसी भी कीमत पर अवरुद्ध करने की आवश्यकता थी; जो भारत प्रभावी ढंग से कर सकता था और किया भी। इससे भारत विश्व में संप्रभुता और शांति की रक्षा करने में सफल हुआ है।
– डॉ. अश्वनी महाजन

आईएफडीए क्या है?

आईएफडीए विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रस्तावित एक व्यापार समझौता है। इसका उद्देश्य निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रावधान बनाना है। इसके लिए राज्यों को विनियामक पारदर्शिता और निवेश उपायों की पूर्वानुमेयता बढ़ाने की आवश्यकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यद्यपि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समझौता घरेलू नियमों के दायरे को सीमित करता है; आईएफएडी के मामले में यह स्थिति अधिक भयावह थी और निवेश सुविधा के नाम पर सदस्य देशों के संप्रभु अधिकारों की तिलांजलि दिये जाने का प्रावधान था।

आईएफएडी को लेकर भारत क्यों चिंतित था?

आम तौर पर समझौते (चाहे प्लुरिलेटरल हों या बहुपक्षीय) तब बनते हैं जब देशों का एक समूह एक मान्य नियमावली पर सहमत होने के लिए इकट्ठा होता है, जिसका किसी मामले पर पालन किया जाएगा; और यह एक दूसरे के लिए पारस्परिक लाभ के लिए होता है। हालाँकि, आईएफएडी की खासियत यह है कि इस प्रस्तावित आईएफएडी को एक देश (चीन) ने अपने लाभ के लिए आगे बढ़ाया और एक प्रमुख सैन्य और आर्थिक शक्ति चीन द्वारा दबाव डालकर अन्य सदस्यों से आँख मूँद कर हस्ताक्षर करवाए गए। चीन का एकमात्र उद्देश्य आईएफएडी सदस्य देशों को अपने–अपने देशों में निवेश की सुविधा के लिए मजबूर करके अपने आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित समझौता सदस्य देशों को अपनी

प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके, मानक प्रथाओं को शुरू करने और नौकरशाही बाधाओं से बचकर किसी भी विदेशी इकाई द्वारा निवेश की सुविधा प्रदान करने का आदेश देता है।

यह समझ में आता है कि पिछले एक दशक में, चीन, विकासशील और यहां तक कि कुछ विकसित देशों को चीन द्वारा ही बनाई जा रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उदार वित्तपोषण का लालच देकर ऋण जाल में धकेलने के अपने विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है।

वर्तमान में बेल्ट रोड पहल की आड़ में चीन की ऋण जाल कूटनीति के कारण कई देश पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कई अफ्रीकी देशों को चीन पहले ही अपनी इस कर्ज़ जाल कूटनीति से बर्बाद कर चुका है।

प्रस्तावित समझौते से चीन को लूट, डकैती और अधीनता के लिए नए चारागाह प्राप्त करने में आसानी होती। बीआरआई के साथ चीन को एक नई विस्तारवादी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है।

आईएफडीए को कैसे रोका गया?

चीन सहित कुछ वैश्विक शक्तियों के इशारे पर आईएफडीए को डब्ल्यूटीओ के दायरे में लाने के लिए डब्ल्यूटीओ सचिवालय की मदद से चीन का यह नापाक प्रयास वास्तव में पूरी तरह से अवैध था। अनुबंध 4 में बहुपक्षीय समझौते के रूप में आईएफडीए को जोड़ने की प्रक्रिया में कई कानूनी मुद्दे शामिल हैं।

सबसे पहले, प्रस्तावित आईएफडीए 'व्यापार समझौते' के रूप में योग्य नहीं था। आईएफडीए में व्यापार से संबंधित कोई ठोस प्रावधान शामिल नहीं है; और इसलिए इसे "व्यापार समझौते" के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। दूसरा, आईएफडीए को डब्ल्यूटीओ में जोड़ने का अनुरोध केवल उन सदस्यों से ही आ सकता था, जिन्होंने आईएफडीए पर हस्ताक्षर करने और इसकी पुष्टि करने के लिए अपनी घरेलू प्रक्रियाओं को पूरा किया हो और जिनके लिए समझौता लागू हो गया है। तीसरा, आईएफडीए पर बातचीत बहुपक्षीय जनादेश के बिना शुरू की गई थी। यह सर्वसम्मति से निर्णय लेने की डब्ल्यूटीओ की लंबे समय से चली आ रही प्रथा के विपरीत था।

इन सब कानूनी कमज़ोरियों के आलोक में, आईएफडीए को डब्ल्यूटीओ में एकीकृत करने का बहुचर्चित प्रस्ताव अचानक ध्वस्त हो गया। चीन के नेतृत्व वाली इस कोशिश को आगे बढ़ाते समय नियम–आधारित डब्ल्यूटीओ स्वयं भी अपने नियमों की अनदेखी नहीं कर सकता।

हम आगे देखते हैं कि आईएफडीए में ऐसा कुछ भी नहीं था जो विकासशील देशों को विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद कर सके। वास्तव में, यह विदेशी निवेशकों (यानि चीन) के हितों की रक्षा के लिए एक चार्टर था। यह बहुराष्ट्रीय निगमों को उन नए कानूनों के खिलाफ पैरवी करने के लिए मजबूत करता है जिनका वे विरोध करते हैं, जिससे उन्हें वे अधिकार मिलते हैं जो एक नागरिक के रूप में हमारे पास नहीं हैं।

इसके अलावा, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करना एक संप्रभु या अन्य शब्दों में संप्रभु राष्ट्र के लोगों का विशेषाधिकार है, जिसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते द्वारा कमजोर या कम नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विधायिका के अधिकारों का अतिक्रमण होगा।

प्रस्तावित समझौते की विषय–वस्तु और संरचना के पीछे भयावह मंसूबे की मंशा प्रतीत होती हैं। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि निवेश सुविधा उपायों के लिए वैश्विक मानक बनाने की आड़ में, वे संप्रभु देशों को अपने संबंधित क्षेत्रों में एफडीआई को विनियमित करने और निगरानी करने के अधिकारों से वंचित करना चाहते थे।

इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है कि डोकलाम के बाद भारत ने उन सभी देशों से जिनकी भारत के साथ साझा सीमा है, पर एफडीआई पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए, और 'स्वचालित मार्ग' के स्थान पर 'अनुमोदन मार्ग' के माध्यम से निवेश की अनुमति को अनिवार्य कर दिया। इस उपाय से, भारत ऐसे देश से निवेश को प्रतिबंधित कर सकता है जो भारत के साथ युद्ध में है। यदि हम इस समझौते की अनुमति देते हैं, तो देश अपने–अपने हितों की रक्षा करने की ऐसी किसी भी स्वतंत्रता से वंचित हो जायेंगे।

यह देखा जा रहा है कि आईएफडीए पर चीन ने दबाव डाला और बेल्ट रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में भाग लेने वाले छोटे देशों की बांह मरोड़कर प्रस्ताव पर सहमति देने वाले अधिक से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त किए गए। अगर हम देखें, तो शुरुआत में आईएफडीए का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका को भी बाद में भारत के साथ अपने संयुक्त बयान से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह कोई रहस्य नहीं है कि बेल्ट रोड पहल के माध्यम से चीन अपनी विस्तारवादी रणनीति के साथ अपनी कुटिल 'ऋण जाल' कूटनीति को प्रभावी बना रहा है। अपनी ऋण जाल कूटनीति के माध्यम से, चीन बीआरआई में भाग लेने वाले देशों से प्रमुख रणनीतिक संपत्ति और स्थान छीनने में सक्षम हो गया है और तेजी से वैश्विक सुरक्षा और शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। इसलिए वैश्विक शांति के हित में, आईएफडीए को किसी भी कीमत पर अवरुद्ध करने की आवश्यकता थी; जो भारत प्रभावी ढंग से कर सकता था और किया भी। इससे भारत विश्व में संप्रभुता और शांति की रक्षा करने में सफल हुआ है। ❑❑

विश्व व्यापार संगठन
अबूधाबी से आगे कैमरून तक की यात्रा?

अबूधाबी में 13वां डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन हाल ही में 1 मार्च, 2024 की आधी रात को संपन्न हुआ है और घोषणा अगले दिन, व्यावहारिक रूप से 26–29 फरवरी, 2024 की निर्धारित तिथि के 2 दिन बाद जारी की गई थी। सम्मेलन ख़त्म होने की कगार पर था, क्योंकि सदस्य देश चार सबसे विवादास्पद और संदिग्ध मुद्दों में से किसी पर भी आम सहमति बनाने में असमर्थ थे। हालाँकि वे अंततः डिजिटल उत्पादों या ई–ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने के लिए स्थगन के विस्तार को मंजूरी देकर एक सकारात्मक नोट पर सहमत हुए, जिसे 1998 के दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अस्थायी आधार पर छूट दी गई थी।

ये चार विवादास्पद मुद्दे थे– 1. मछली पालन पर सब्सिडी ख़त्म करना, 2. निवेश सुविधा विकास समझौते (आईएफडीए) को अपनाना, 3. खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग (पीएसएच) तथा 4. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क पर रोक लगाना।

यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना 15–04–1994 को हुई थी और इसने अपने अस्तित्व के लगभग 30 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कोमोरोस और तिमोर में दो नए सदस्यों के शामिल होने के साथ इसके 166 सदस्य हैं। डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश मिलकर लगभग 97 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं।

आइए, उपरोक्त चार विवादास्पद मुद्दों पर संक्षेप में चर्चा करें। उन्हें संदिग्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऊपर से देखने पर तो वे आर्थिक विकास के लिए बहुत अच्छे प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनका इरादा और डिज़ाइन विकासशील देशों को वंचित करना और उनकी संप्रभुता का अतिक्रमण करना है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि प्रत्येक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का एजेंडा इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मौजूदा महत्वपूर्ण मुद्दे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएं। उदाहरण के लिए, विकासशील देशों की हमेशा

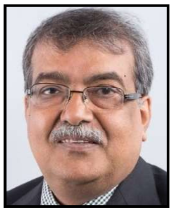

डब्ल्यूटीओ की कार्य प्रणाली में सुधार होगा और अगली बैठक जो केमरून में होगी, तब तक इसे प्रजातांत्रिक और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।

– डॉ. धनपत राम अग्रवाल

Total Estimated Agricultural Supports in 2019

Ranked by Spend as a % of Gross Farm Revenue		Ranked by Total Spend (% Gross Farm Revenue)	
1. NORWAY - $3.03 billion	57.6%	1. CHINA (12.1%)	$185.9 billion
2. ICELAND - $223.2 million	54.6%	2. EUROPEAN UNION (19.0%)	$101.3 billion
3. SWITZERLAND - $6.16 billion	47.4%	3. UNITED STATES (12.1%)	$48.9 billion
4. KOREA - $20.8 billion	46.1%	4. JAPAN (41.3%)	$37.6 billion
5. JAPAN - $37.6 billion	41.3%	5. INDONESIA (23.3%)	$29.4 billion
6. PHILIPPINES - $7.3 billion	27.1%	6. KOREA (46.1%)	$20.8 billion
7. INDONESIA - $29.4 billion	23.3%	7. RUSSIA (9.2%)	$7.9 billion
8. EUROPEAN UNION - $101.3 billion	19.0%	8. PHILIPPINES (27.1%)	$7.3 billion
9. ISRAEL - $1.5 billion	17.4%	9. TURKEY (13.5%)	$6.7 billion
10. TURKEY - $6.7 billion	13.5%	10. SWITZERLAND (47.4%)	$6.2 billion

SOURCE: OECD Data, Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020 Reference Tables.

से यह चिंता रही है कि विकसित देशों द्वारा अपने कृषि–व्यवसाय समूहों को दी जाने वाली व्यापार विकृत करने वाली सब्सिडी बंद की जानी चाहिए, लेकिन इसके बजाए वे विकासशील देशों से खाद्य सुरक्षा के लिए उनकी वैध मांगों को मान्यता दिए बिना अपनी सब्सिडी में कटौती करने के लिए कह रहे हैं और गरीब किसानों की आजीविका के बारे में बुनियादी अधिकार। विकासशील देशों की उनके कृषि उत्पादन के 10 प्रतिशत के बराबर घरेलू समर्थन निर्धारित करने के लिए बाहरी संदर्भ मूल्य (ईआरपी) के आधार वर्ष 1986–88 को बदलने की पुरानी पोषित मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है और विकसित देशों ने नाजायज सब्सिडी को शामिल करना जारी रखा है।

ग्रीन बॉक्स को एम्बर बॉक्स के दायरे से बाहर होने का आरोप लगाया गया है, जो उनके कृषि उत्पादन के 5 प्रतिशत की सीमा के अधीन है। इसी तरह भौगोलिक संकेत रजिस्टर में दार्जिलिंग चाय जैसे उत्पादों का विस्तार करने की विकासशील देशों की लंबे समय से चली आ रही मांग को नजरअंदाज कर दिया गया है।

जलवायु परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और पारंपरिक ज्ञान, जैव–विविधता का मुद्दा चर्चा के एजेंडे से बाहर है। प्रत्येक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में कुछ नये मुद्दे लादे जाते हैं। कैनकुन में 5वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में निवेश के मुद्दों को हटाने के लिए जोरदार तर्क दिया गया और अंततः व्यापार सुविधा को छोड़कर सिंगापुर के सभी मुद्दों को डब्ल्यूटीओ एजेंडा से बाहर कर दिया गया, जिसे गारंटी के बदले में 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (बाली) में अपनाया गया था।

गरीब किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग का स्थायी समाधान प्रदान करना, लेकिन उस मुद्दे को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। इस 13वीं एमसी के दौरान भी इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी गई और पूरी चर्चा निवेश और ई–कॉमर्स के इर्द–गिर्द ही रही।

मत्स्य पालन के पहले मुद्दे पर 2022 में 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में सदस्यों ने सहमति व्यक्त की थी कि अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने पर सब्सिडी को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा गहरे पानी में मछली पकड़ने पर किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर मछली पकड़ने को विशेष और विभेदक उपचार (एस एंड डीटी) लाभ देकर छोटे मछुआरों के लिए विशेष रूप से बाहर रखा जाना चाहिए।

हालाँकि विकसित देश विकासशील देशों के छोटे मछुआरों को

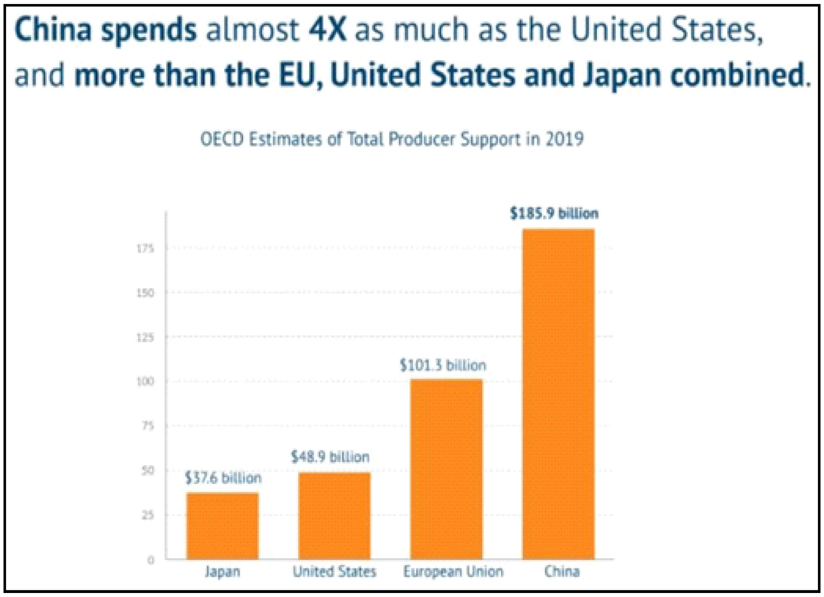

डिजिटल व्यापार के कुछ आँकड़े (2023)

वैश्विकः

- ई–कॉमर्स बिक्रीः 5.2 ट्रिलियन डॉलर (2023)
- ई–कॉमर्स बिक्री में वृद्धिः 13.7 प्रतिशत (2022–2023)
- ई–कॉमर्स उपयोगकर्ताः 4.9 बिलियन (2023)
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्यः 11.5 ट्रिलियन डालर (2023)

भारतः

- ई–कॉमर्स बिक्रीः 120 बिलियन डालर (2023)
- ई–कॉमर्स बिक्री में वृद्धिः 30 प्रतिशत (2022–2023)
- ई–कॉमर्स उपयोगकर्ताः 650 मिलियन (2023)
- डिजिटल अर्थव्यवस्था का मूल्यः 250 बिलियन डालर (2023)

अन्यः

- मोबाइल इंटरनेट उपयोगकर्ताः 5.3 बिलियन (2023)
- स्मार्टफोन उपयोगकर्ताः 6.6 बिलियन (2023)
- सोशल मीडिया उपयोगकर्ताः 4.7 बिलियन (2023)

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आँकड़े अनुमान हैं और वास्तविक संख्या भिन्न हो सकती है।

Source of Data compilation:
- https://www.statista.com/
- https://www.weforum.org/

दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म करने पर ज़ोर दे रहे थे और इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई।

चीन और कुछ अन्य देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा एफडीआई के मुक्त प्रवाह के लिए पिछले दरवाजे के माध्यम से बहुपक्षीय समझौते के रूप में विकास के नाम पर निवेश सुविधा समझौते को लाना चाहते थे और इस तरह मेजबान देश के लिए नीतिगत स्थान को कम करना चाहते थे और यहां तक कि

राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर भी। संयुक्त मंत्रिस्तरीय घोषणा की कूटनीति अन्य सदस्यों को समझाने में विफल रही और भारत ने व्यावहारिक रूप से अपनी वीटो शक्ति का उपयोग किया क्योंकि डब्ल्यूटीओ को सभी सदस्यों की स्पष्ट सहमति के साथ काम करना पड़ता है और निवेश एक व्यापार मुद्दा है।

कृषि के मुद्दे ने अपनी प्राथमिकता खो दी, क्योंकि विकसित देश सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे का स्थायी समाधान देने के मूड में नहीं थे और चर्चा के अभाव में मामला कार्यान्वयन से लंबित रहा। ओईसीडी की 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूटीओ के 54 सदस्य देशों के लिए 2019–21 में कृषि क्षेत्र को कुल समर्थन 817 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष तक पहुंच गया, जो 2018–20 के लिए रिपोर्ट किए गए 720 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 13 प्रतिशत अधिक है।

सबसे अहम बहस ई–कॉमर्स और ई–ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने पर लगी रोक खत्म करने के मुद्दे पर हुई।

भारत सहित कई देशों ने ई–कॉमर्स पर मोराटोरियम के विस्तार का विरोध किया था। इन देशों का तर्क था कि मोराटोरियम डिजिटल व्यापार के विकास में बाधा डालता है और विकसित देशों को अनुचित लाभ देता है। विरोध करने वाले देशों का मुख्य तर्क यह था कि मोराटोरियम विकसित देशों को अपनी डिजिटल कंपनियों को विकासशील देशों के बाजारों में प्रवेश करने और उन पर हावी होने का अनुचित लाभ देता है। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि मोराटोरियम विकासशील देशों को अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने और डिजिटल व्यापार से लाभ उठाने से रोकता है।

भारत ने विशेष रूप से मोराटोरियम का विरोध किया क्योंकि यह डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं को लागू करने की अपनी क्षमता को सीमित करता है। भारत चाहता है कि डिजिटल कंपनियां अपने डेटा को भारत में स्टोर करें, ताकि सरकार डेटा तक पहुंच और उसका उपयोग कर सके।

मंत्रीस्तरीय बैठक को एक सार्थक रूप प्रदान करने के लिये एक सहमति बनी कि 14वीं बैठक तक मॉरटॅरीयम को बढ़ाया जाता है, पर किसी भी हालत में अंतिम तिथि 31–03–2026 रहेगी। आशा है डब्ल्यूटीओ की कार्य प्रणाली में सुधार होगा और अगली बैठक जो केमरून में होगी, तब तक इसे प्रजातांत्रिक और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जायेगा। ❑❑

दवा के नाम पर विष बेचने वालों पर हो कड़ा प्रहार

देश में स्वास्थ्य कितना बड़ा मुद्दा है और इससे खिलवाड़ कितना आसान है यह नकली दवाओं के काले कारोबार में लिप्त सिंडीकेट के हालिया पर्दाफाश से पता चलता है। पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 10 लोगों को गिरफ्तार किया है तथा कई करोड़ कीमत की पेन किलर्स, एंटीबायोटिक, डायबिटीज और माइग्रेन की नकली दवाई जब्त की है।

देश में आए दिन नकली दवाइयों का भंडाफोड़ होना शर्मनाक है। उससे भी दुखद है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नकली दवा कंपनी का पकड़े जाना। यह न केवल स्वास्थ्य के साथ अनदेखी है बल्कि देश के साथ शत्रुता के समान है।

भारत की जनसंख्या अधिक है इसलिए उसी अनुपात में यहां बीमारियां और बीमार लोगों की संख्या भी बहुत है। इसी का फायदा लालची लोग उठाते रहे हैं। बताते हैं कि पैसे की हवस में आम नागरिकों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले नकली दवाइयों के शातिर शिकारियो की सरपरस्ती में देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में नामी देसी और विदेशी कंपनियों की ब्रांडेड नकली दवाएं कारखानो में बन रही थी, जिसे ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए कुरियर किया जा रहा था। गिरोह से जुड़े सप्लायर दुकानों तक पहुंचाते थे, जिसे रोग से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद जनता खरीद रही थी।

नकली दवाइयों का यह मामला केवल एक राज्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। तेलंगाना सरकार ने मेघ लाइफ साइंसेज द्वारा तैयार 33 लाख रुपए से ज्यादा की तीन दवाइयों की जांच की, तो उसमें दवा का कोई भी तत्व नहीं पाया गया। राज्य के औषधि नियंत्रण प्रशासन ने तीनों नकली दावाओं में केवल चाक पाउडर और स्टार्च के मिले होने की बात कही है।पिछले महीने महाराष्ट्र में भी भारी मात्रा में नकली एंटीबायोटिक दवाओं को जब्त किया गया। ऐसी कंपनियां भ्रष्टाचार का सहारा लेकर सरकारी अस्पतालों में भी आपूर्ति करने में कामयाब हो जाती हैं।

उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार देश में दवा उत्पादन में गुणवत्ता मापदंडों के पालन के लिए कठोरता के साथ आगे बढ़ेगी जिससे कि दवाओं की साख को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहे हैं उससे निजात पाई जा सके।

–अनिल तिवारी

एक ऐसे समय में जब भारत का दवा उद्योग दुनिया की 'नई फार्मेसी' के रूप में रेखांकित हो रहा है, नकली दवाओ का जखीरा भारतीय दवाओं की साख को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले वर्ष भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार कुछ दवाओं की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे थे। खासकर जांबिया और उज्बेकिस्तान में बच्चों की मौत को भारत में बनी खांसी की दवा से जोड़ा गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में बनी खांसी की दवा डाइथेलेन ग्लाइकोल और इथालेन ग्लाइकोल इंसान के लिए जहर की तरह है। यही कारण था कि भारत से अफ्रीकी देशों को होने वाला दवा निर्यात वित्त वर्ष 2022–23 में 5 प्रतिशत घट गया। सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता को गंभीरता से लिया और कहा कि भारत में बनने वाली दवाओं की गुणवत्ता को लेकर कोई

समझौता नहीं किया जाएगा। नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी छोटे और मझौले दवा निर्माताओं के लिए चरणबद्ध तरीके से औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 की अनुसूची 'एम' को अनिवार्य बनाने की बात की गई थी। यह अनुसूची भारत की दवा निर्माता इकाइयों की बेहतरीन निर्माण गतिविधियों से जुड़ी है। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार द्वारा दवा बनाने वाली कंपनियों की जांच के लिए विशेष दस्ते का गठन किया गया। दवा उत्पादों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियामक प्राधिकारियों ने जोखिम के आधार पर कंपनियों का लेखा–जोखा जांचना शुरू किया। 137 कंपनियों की जांच की गई और 105 के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। 31 का उत्पादन रोका गया और 50 के खिलाफ उत्पाद या जारी किए अनुभाग लाइसेंस रद्द करने और निलंबन की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 75 को कारण बताओं नोटिस जारी कर की गई तथा 31 को चेतावनी जारी की गई।

मालूम हो कि वर्तमान में करीब 70 प्रतिशत जेनेरिक दावों का उत्पादन भारत में ही होता है। जेनेरिक दवाओं की अफ्रीका की कुल मांग का 50 प्रतिशत, अमेरिकी मांग का 40 प्रतिशत तथा ब्रिटेन की कुल दवा मांग का 25 प्रतिशत हिस्सा भारत से ही जाता है। दुनिया के कोई 50 प्रतिशत से अधिक विभिन्न टीकों का उत्पादन भी भारत में ही होता है। विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौता की बदौलत फार्मा क्षेत्र का कारोबार 50 अरब डॉलर के आकार से ऊपर का पहुंच गया है।

नकली दवाओं की बिक्री का मामला बेहद गंभीर है लेकिन यह आसानी से पकड़ में नहीं आ पाता। इसकी वजह है कमजोर निगरानी तंत्र। कायदे से ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की यह जिम्मेदारी है कि वह नकली दवाओं की खरीद फरोख्त करने वाले को पकड़े, लेकिन अमूमन ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि ताबड़तोड़ छापामारी चल रही हो। अगर नियमित तौर पर यह विभाग जांच पड़ताल करें तो नकली दवाएं बेचने वालों की लगाम कसी जा सकती है। नकली दवाएं बिकना गंभीर मसला है क्योंकि यह मरीज के लिए जानलेवा साबित होती है। मरीज के लिए सबसे जरूरी साल्ट का सही होना और जिस अनुपात में होना चाहिए यानी जो मानक है, उसके अनुसार ही उसे दिया जाना चाहिए। अगर मरीज को लिखा गया है कि 5 एमजी लेनी है तो उसमें 5एमजी साल्ट और वही साल्ट होना चाहिए। अगर साल्ट सही नहीं है तो इसे सबस्टैंडर्ड नकली या फर्जी दवा कहा जाता है। आज कई जगह 80 प्रतिशत तक की छूट पर दवाएं बिक रही हैं। इसलिए क्रेता को सावधान होकर दवा लेनी चाहिए। अगर जरूरतमंद को सही दवा न दी गई अथवा डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मामले में नकली दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ा तो यह बीमारियां नियंत्रित होने की जगह और बढ़ती जाएगी और मरीज की जान खतरे में डाल देंगी।

मौजूदा परिस्थितियों में भारतीय दवाओं से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य पर कई सुधार मूलक ज़रूरतें अनुभव की जा रही हैं। नकली दवाओं के जोखिम का विश्लेषण करते हुए सरकार द्वारा शीघ्र स्वनियामक संस्था को अमली जामा पहनाना होगा। सरकार को जरूरी दवाओं की कीमतें कम करने पर भी ध्यान देना होगा। सरकार को देश के करोड़ों लोगों की शिकायत पर भी ध्यान देना होगा की दवा विक्रेता ग्राहकों को 10 से15 टेबलेट या कैप्सूल वाला पूरा पत्ता खरीदने पर जोर देते हैं। एक सर्वे में पता चला कि पूरे पत्ते की खरीदी के कारण बड़ी मात्रा में दवाएं बिना उपयोग के फेंक दी जाती है। सर्वे में यह भी सामने आया था कि लोगों द्वारा पिछले 3 सालों में खरीदी गई दशाओं में से 70 प्रतिशत दवाएं बिना किसी उपयोग के फेंक दी गई और ऐसा हर चार में से तीन घरों में पाया गया। ऐसे में सरकार को दवा ग्राहकों को न्याय संगत मदद के लिए दवाई के पूरे पत्ते की जगह जरूरत के हिसाब से दवाई की बिक्री का आदेश जारी करने चाहिए। इससे नकली दवा विक्रेताओं के लालच पर भी अंकुश लगेगा।

उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार देश में दवा उत्पादन में गुणवत्ता मापदंडों के पालन के लिए कठोरता के साथ आगे बढ़ेगी जिससे कि दवाओं की साख को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहे हैं उससे निजात पाई जा सके।

कुलमिलाकर नकली दवाओं के मामले में निशाने पर सीधे–सीधे सरकार है, जो जनहित के दायित्वों को खाना–पूर्ति समझती है, वहीं समाज का चरित्र भी उजागर हुआ है जो बीमार लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। यह एक ऐसा घिनौना कृत्य है जिसके लिए कठोर से कठोर सजा का प्रावधान समाज और शासन द्वारा किया जाना चाहिए। सेज से लेकर सेंसेक्स तक को विकास का मानक बताने वाली सरकार नकली दवाओं की काली करतूतों को लेकर कड़े कदम उठाने से क्यों कतराती है। विभिन्न तरह के रोगों से त्रस्त इंसान दवा के नाम पर जहर खाने को मजबूर है। यह मजबूरी 'कुदरती' नहीं बल्कि 'कुछ सरकारी और अधिक सामाजिक' है। इस दुष्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता खोजा ही जाना चाहिए और दवा के नाम पर जहर बेचने वालों को कठोर दंड देना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा करने वालों की रूह कांप जाए। ❑❑

सुख के सब साधन, फिर भी घेरे है अवसाद

भारत की गिनती न सिर्फ तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में हो रही है बल्कि मानवीय विकास सूचकांक में भी भारत की रैंकिंग अन्य एशियाई देशों की तुलना में प्रायः ऊपर ही आती है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग गत वर्ष की तुलना में एक स्थान सुधर कर 193 देशों में 134वें स्थान पर पहुंच गई है। वहीं प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। इसके बावजूद यहां नगरों महानगरों में रह रहे हर उम्र वर्ग के लोगों में अवसाद, बेचैनी, अनिद्रा, बाहरी दुनिया से अलगाव, हीनता बोध, हिंसा– आक्रामकता जैसे मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। कमोवेस सबके पास खाने–पीने का इंतजाम है, रहने को छोटा– बड़ा, खुद का या किराए का मकान है। सरकार की ओर से 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। पांच लाख रुपए तक के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है। फिर भी यहां लोग अवसाद या इससे मिलती–जुलती कई तरह की मानसिक, शारीरिक समस्याओं को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में अवसाद रोधी दवाओं की बिक्री में 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अवसाद से ग्रस्त अनेक किशोर–किशोरियां अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

एक ताजा समाजशास्त्रीय विश्लेषण में यह कहा गया है कि सफलता की अंधी दौड़ में भाग रहे लोग निराशा, कुंठा, तनाव, झुझलाहट और हिंसक वृत्ति का शिकार होकर स्वयं को मार रहे हैं। इस प्रवृत्ति को अगर नहीं रोका गया तो आने वाला समय कितना भयावह होगा, कहना कठिन है। हाल ही में जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023–24 में कहा गया है कि पिछली बार भारत 191 देशों की सूची में में 135वें स्थान पर थी। अबकी एक अंक उपर चढकर 193 देशों की रैंकिंग में 134वें स्थान पर पहुंच गया है।लैंगिक असमानता सूचकांक में भी भारत की उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। इस बार गत वर्ष की तुलना में 122वें स्थान से ऊपर चढ़कर 108वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि देश की श्रम बल भागीदारी में लैंगिक अंतर बना हुआ है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय लगभग 287 प्रतिशत बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रपट 'ब्रेकिंग दि ग्रिडलॉक–रेइमेजिनिग कोआपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड' पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय में भारत ने बेहतरीन प्रगति की है जो देश में लैंगिक समानता हासिल करने में प्रगतिशील सुधार का संकेत देती है। वर्ष 2014 में यह रैंक 127 थी जो अब 108 हो गई है।

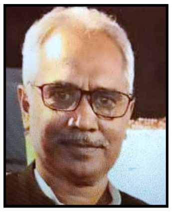

सफलता की अंधी दौड़ में भाग रहे लोग निराशा, कुंठा, तनाव, झुझलाहट और हिंसक वृत्ति का शिकार होकर स्वयं को मार रहे हैं। इस प्रवृत्ति को अगर नहीं रोका गया तो आने वाला समय कितना भयावह होगा, कहना कठिन है।

– **इंदु प्रकाश सिंह**

यह हैरान करने वाली बात है कि जो शहर शिक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य सुविधाओं की दृष्टि से अधिक विकसित है वहां इस तरह की बीमारियां अधिक है। दुनिया के अन्य विकसित देशों की भी स्थिति मिलती–जुलती ही है।समृद्ध देशों में गिने जाने वाले स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका के आंकड़े भी डरावने हैं। ब्रिटेन सहित पश्चिम के कई देशों में कम उम्र के बच्चों के आत्महत्या कर लेने की दर में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या विकास प्रक्रियाओं और ऐसी अनहोनी के बीच कोई परस्पर संबंध है? राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों में बढ़ रही आत्महत्या की प्रवृत्ति पर हुए एक अध्ययन में यह निष्कर्ष निकलकर आया है कि सफलता की अंधी दौड़

के युग में असफलता के अंदेशा मात्र से भी छात्र इस तरह का खतरनाक कदम उठा रहे हैं।

अध्ययन दल ने जनसंख्या को तीन समूह में वर्गीकृत किया। एक जो उच्च श्रेणी के पेशों और व्यवसायों से जुड़ा है, उच्च शिक्षा प्राप्त और विशेषज्ञ रखता है। मसलन चिकित्सक, प्रबंधक और इंजीनियर आदि। दूसरे वर्ग में ऐसे लोग जो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं पर मध्यम श्रेणी के व्यवसाय अथवा पैसे से संबंद्ध है, जैसे शिक्षक, दुकानदार, व्यवसायी आदि। तीसरा, उन लोगों का समूह है जो कम शिक्षित और निम्न श्रेणी की विशेषज्ञता वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे किसान मजदूर और छात्र आदि।

पहले समूह में तनाव, अकेलापन, कार्य के अधिक घंटे, विचारों और भावनाओं की साझेदारी का अभाव, असीमित आकांक्षाएं और विफलता के कारण ऐसी घातक बीमारी असर डालती है। वहीं दूसरे समूह के लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है क्योंकि उनके ज्ञान और सूचना का संसार पर्याप्त नहीं होता। उपभोक्तावादी समाज न केवल बहुत कुछ पाने को प्रेरित करता है, बल्कि महंगी कारें, ब्रांडेड कपड़े, पांच सितारा जीवन शैली अपनाने का दबाव बनाता है। यह वर्ग सब कुछ पाना चाहता है लेकिन न मिलने की स्थिति में उसे खुद का जीवन अर्थहीन लगने लगता है।

तीसरा समूह आर्थिक रूप से लगभग विपन्न समूह है जो अस्थिर व्यवस्थाओं में जीने को बाध्य होता है। तीसरी श्रेणीके पास कोई विकल्प ही नहीं बचता है। वह सफलता की आस में अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है और विफल होने पर नुकसान पहुंचाने वाला कदम उठा लेता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले दिनों दक्षिणी और पूर्वी एशिया के 10 देश की रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में भारत से संबंधित आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में 32 प्रतिशत छात्र अवसाद ग्रस्त 12 प्रतिशत को अकेलापन सता रहा था। अध्ययन दल से छात्रों ने कहा कि उनका कोई नजदीकी मित्र नहीं है। इस अध्ययन में 15 से 30 आयु वर्ग के लिए आत्महत्या की, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनके अनुसार भी भारत की स्थिति 10 देश में सबसे विकट है। इंडोनेशिया में यह दर जहां एक लाख पर मात्र 3.6, नेपाल में एक लाख पर 25.8 है वहीं भारत में 35.7 पाई गई है। हाल के बरसों में भारत के युवाओं में शराब की लत भी रफ्तार के साथ बढ़ रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 32 प्रतिशत छात्र अवसादग्रस्त, 12 प्रतिशत को अकेलापन सता रहा था। अध्ययन दल से छात्रों ने कहा कि उनका कोई नजदीकी मित्र नहीं है। इस अध्ययन में 15 से 30 आयु वर्ग के लिए आत्महत्या की, जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं उनके अनुसार भी भारत की स्थिति 10 देश में सबसे विकट है।

प्रश्न है कि इस तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पूरी दुनिया में तेजी से क्यों बढ़ रही है? जवाब में अध्ययन दल ने यह माना है कि सोशल मीडिया व मोबाइल फोन पर अति सक्रियता, किशोरों को बुलिंग तथा मोबिंग करने यानि तरह–तरह की धमकी देने व अपमानित करने की प्रवृति, पढ़ाई का बोझ तथा सोशल मीडिया पर हमेशा मौजूद रहने का बोझ, भविष्य के प्रति अनिश्चय, शरीर को और अधिक आकर्षक बनाए रखने व दूसरों से निरंतर तुलना करने की प्रवृत्ति, हिंसा व यौन हिंसा, शराब व नशीले पदार्थों का सेवन, मोबाइल पर तेजी से बनते बिगड़ते रिश्ते, पारिवारिक संबंधों में कमजोरी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। यह सभी कारण अपने आप में महत्वपूर्ण है।

और इससे भी जरूरी मुद्दा है बुनियादी जीवन मूल्यों का अभाव, उनकी उपेक्षा और उनके बारे में अनिश्चिय। यदि जीवन में बुनियादी जीवन मूल्य जुड़े रहते हैं तो इससे जीवन में सार्थकता और स्थिरता आती है। दादा–दादी, नाना–नानी अब केवल कहने को रह गए हैं। वयस्क पीढ़ी के लक्ष्य बदल गए हैं जिससे स्कूल कॉलेज में, परिवार में युवा खुद को दिशाहीन पा रहे हैं। मूल्यों को लेकर एक खालीपन आया है जिसने आधुनिकता और तकनीक से जुड़े दबावों के साथ मिलकर युवाओं को बहुत उद्वेलित कर दिया है।अगर शिक्षा आलोचनात्मक चेतना और तार्किक विश्लेषण की क्षमता उत्पन्न नहीं कर पा रही तो वह अर्थहीन और उद्देश्यहीन हो जाती है। कौशल विकास के नाम पर केवल तकनीकी और प्रबंधकीय विषय का ज्ञान देना उसके मानवीय गुणों को समाप्त कर मनुष्य को मशीन में बदल रहा है। प्रसिद्ध समाज शास्त्री दुरखाइम ने अपनी किताब सुसाइड में यह तर्क दिया कि 'जैसे–जैसे समाज सरल से जटिल समाज की ओर अग्रसर हुआ सामूहिकता का स्थान व्यक्तिवादिता ने ले लिया। नतीजतन, व्यक्ति आत्म केंद्रित बनकर रह गया है और सामाजिक संबंधों से कट गया है, जिसका नतीजा है कि मनुष्य अब किसी प्रकार के साझेपन से दूर और जीवन में उत्पन्न अनेक तनाव को अकेले ही झेलने के लिए बाध्य है, जो उसे कभी–कभी अनहोनी के लिए उकसाता रहता है। ❑❑

आखिर भारत के रोड नेटवर्क से क्यों डर रहा है चीन

दुनिया जानती है कि आज का भारत चीन से नहीं डरता। इसीलिए चीन भारत के सैन्य विकास और अन्य देशों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंधों से बहुत चिंतित है।

– विक्रम उपाध्याय

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में नवनिर्मित सेला सुरंग राष्ट्र को समर्पित की। भारतीय सीमा पर बसे गावों तक पहुंचने और सेना की आवाजाही में यह सुरंग टाइम और पैसा दोनों बचाएगी। पूरी तरह से भारतीय सीमा के अंदर बनी इस सुरंग पर चीन ने ना सिर्फ ऐतराज जताया है, बल्कि फिर यह गीदड़भभकी दी है कि भारत के इस कदम से सीमा संबंधी मुद्दे और उलझ जाएंगे।

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने पीएम मोदी की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अरुणाचल (चीन इसे ज़ंगनान क्षेत्र कहता है) चीन का क्षेत्र है और भारत को इस ज़ंगनान के क्षेत्र को मनमाने ढंग से विकसित करने का कोई अधिकार नहीं है। चीन ऐसा पहली बार नहीं कर रहा, बल्कि हर बड़े भारतीय अधिकारी या मंत्री के अरुणाचल दौरे पर एतराज जताता है। आखिर चीन को सीमा पर तेजी से बढ़ रहे भारतीय रोड नेटवर्क से डर क्यों लगता है?

सेला परियोजना का महत्व

पीएम मोदी रणनीतिक रूप से तवांग के लिए हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगातार रोड नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। इसी कड़ी में अरुणाचल में 13,000 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन पीएम ने हाल ही में किया है। इस परियोजना की आधारशिला भी पीएम मोदी ने ही फरवरी 2019 में रखी थी। 825 करोड़ रुपये की लागत से बनी सेला सुरंग असम के तेजपुर को अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले से जोड़ेगी। यह इतनी ऊंचाई पर भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है।

सेला सुरंग के चालू हो जाने के बाद किसी भी आकस्मिक जरूरत के समय चीन के साथ लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के अग्रिम स्थानों पर सैनिकों और हथियारों की बहुत कम समय में तैनाती की जा सकेगी। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित सेला परियोजना में दो सुरंगें और एक लिंक रोड शामिल हैं। एक सुरंग 980 मीटर लंबी सिंगल–ट्यूब है, और दूसरी

सुरंग 1,555 मीटर लंबी है, जिसमें आपातकालीन सेवाओं के लिए एक बाय–लेन ट्यूब है। दोनों सुरंगों के बीच लिंक रोड 1,200 मीटर लंबी है।

चीन के डर का कारण

सेला दर्रा सर्दियों में कुछ महीनों के लिए बंद रहता है। 1962 में, चीनी सैनिकों ने इसी क्षेत्र से भारत में घुसकर तवांग शहर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। इस समय चीन भारत से लगी सीमा पर बहुत तेज विकास कर रहा है, लेकिन वह भारत के रोड नेटवर्क को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता दिखाता है। जबकि चीन का इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास, उद्योग लगाने का काम और सैन्य तैयारी में कहीं कोई रुकावट नहीं है। दरअसल चीन को भारत की सड़क परियोजनाओं पर आपत्ति का मुख्य कारण है सेना को रसद और युद्ध सामग्री पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा बुनियादी ढांचा। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार चीनी सड़कें हमारी तोपखाने की तोपों से काफी दूरी पर हैं, जबकि भारत की सड़कें उनके तोपखाने के पास तक जाती हैं। चीन हमेशा इस धारणा में रहता है कि भारत एक प्रतिद्वंद्वी है जिसे कमजोर करने, तोड़ने और अपने अधीन रखने की जरूरत है।

लंबे समय तक चीन ने भारत को गुमराह किया कि वह 1962 की तरह भारत पर कोई आक्रमण नहीं करेगा। परिणामस्वरूप भारत ने लंबे समय तक एलएसी पर कोई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया। पर अब भारत ने देर से ही सही, चीन के साथ अपनी सीमाओं पर पर्याप्त संपर्क और बुनियादी ढांचा नहीं होने की इस ऐतिहासिक गलती को सुधारना शुरू कर दिया है।

पिछले 10 वर्षों से भारत बीआरओ के माध्यम से सीमा पर लगातार सड़कें बनाने का काम कर रहा है। इससे चीन चिंतित है कि किसी संभावित लड़ाई में भारत भी अब उन पर हमला करने के लिए समान रूप से तैयार हैं।

सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार चीनी सड़कें हमारी तोपखाने की तोपों से काफी दूरी पर हैं, जबकि भारत की सड़कें उनके तोपखाने के पास तक जाती हैं। चीन हमेशा इस धारणा में रहता है कि भारत एक प्रतिद्वंद्वी है जिसे कमजोर करने, तोड़ने और अपने अधीन रखने की जरूरत है।

गलवान में 20 बहादुरों के संघर्ष के बाद हुईं शहादत को चीन ने पहले यह कर प्रचारित करना चाहा कि भारतीय सैनिक उनके सैनिकों के मुकाबले बहुत कमजोर हैं, लेकिन जब दुनिया के सामने यह सच उजागर हुआ कि 20 भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीन के 42 सैनिक मारे गए हैं तो चीन की चालाकी धरी रह गई। उन्हें लग गया कि भारतीय सेना के साथ आमने सामने की लड़ाई में वे कभी भी जीत नहीं सकते।

दुनिया जानती है कि आज का भारत चीन से नहीं डरता। इसीलिए चीन भारत के सैन्य विकास और अन्य देशों के साथ उसके मैत्रीपूर्ण संबंधों से बहुत चिंतित है। चीन भारत, अमेरिका और भजापान के संयुक्त सैनिक अभ्यास को लेकर भी चिंतित है। पहले से ही भारत और जापान चीन के प्रतिद्वंद्वी हैं और इन दोनों का चीन के साथ सीमा विवाद भी है। रणनीतिक स्तर पर चूंकि भारत और अमेरिका एक साथ हैं और अमेरिका शायद चीन के खिलाफ (दक्षिण चीन सागर के अलावा) कम लागत वाला दूसरा मोर्चा भारत के साथ मिलकर खोलने के लिए बहुत उत्सुक है, शायद चीन इससे भी चिंतित हो गया है।

भारत में ढांचागत विकास में काफी तेजी

भारत इस समय बड़े पैमाने पर ढांचागत सुविधाओं के निर्माण में लगा है। अमेरिका के बाद भारत के पास सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है और 2024 के अंत तक अमेरिका से भी आगे निकलने की उम्मीद है। सड़क घनत्व के मामले में भारत पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका से तीन गुना आगे है। अमेरिका और चीन दोनों के पास भारत की तुलना में लगभग 2.5 से 3 गुना अधिक जमीन है।

मोदी सरकार कई बड़ी परियोजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। जहां सागरमाला परियोजना बंदरगाह के बुनियादी ढांचे पर केंद्रित हैं तो भारतमाला परियोजना रोड नेटवर्क पर। स्मार्ट सिटी परियोजना के जरिए शहरी बुनियादी ढाँचे का विकास किया जा रहा है, ताकि शहर के प्रशासन को टिकाऊ और स्वच्छ बनाया जा सके। अमृत योजना के जरिए शहरों में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित किया जा रहा है। समर्पित माल गाड़ी गलियारा और इसके चारों ओर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने वाले लॉजिस्टिक्स कॉरीडोर का भी निर्माण किया जा रहा है।

अमेरिका में लगभग 6.8 मिलियन किलोमीटर सड़क है, जबकि भारत में इस समय केवल 6.4 मिलियन किमी. सड़क है। पिछले 5 वर्षों में, भारत ने लगभग 6,00,000 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया है। पिछले 10 साल में नेशनल हाईवे की लंबाई 60 प्रतिशत बढ़ी है। केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि सड़क क्षेत्र के कारण केवल 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था को 30 प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिली है। चीन में लगभग 5.2 मिलियन किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। ❑❑

शिक्षित भारत में जनसंख्या घटने के संकेत

कुछ समय पहले, एक महत्वपूर्ण खबर ने सभी का ध्यान उतना अपनी तरफ नहीं खींचा जितना इसे खींचना चाहिए था क्योंकि यह भविष्य के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण था। यह खबर भारत की कुल प्रजनन दर से संबंधित थी जो कि 2022 में घटकर मात्र 1.99 रह गई है। जनसांख्यिकीय सिद्धांतों के अनुसार, अगर कुल प्रजनन दर (कोई महिला अपने जीवनकाल में कुल जितने बच्चों को जन्म देती है) 2.1 से कम हो जाए तो देश की जनसंख्या कम होने लगेगी।

काफी समय तक भारत में बढ़ती जनसंख्या को बोझ के रूप में देखा जाता था। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब देश तो अभी तक अविकसित होता है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में प्रगति के कारण स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में यह स्थिति तब होती है जब औद्योगिक क्रांति से पहले चिकित्सा क्रांति आती है। इसके कारण देश में जन्म दर बहुत धीमी गति से घटती है जबकि मृत्यु दर तेज़ी से गिरती है।. इसका प्रभाव यह होता है कि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ने लगती है। यह स्थिति, जिसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है, भारत में 1950 से 1980 तक देखी गई थी, लेकिन 1980 के दशक के बाद, जन्म दर और कम हो गई, इसलिए जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर भी घटने लगी।

एक वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु दर में गिरावट का जनसंख्या पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। भारत में यह 1981 में 111.7 प्रति हज़ार से घटकर 1991 में 86.6 प्रति हज़ार, 2001 में 64.5 प्रति हज़ार और 2011 में केवल 43.2 प्रति हज़ार रह गई है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रार द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2022 में यह घटकर मात्र 27.7 प्रति हज़ार रह गई है।

इससे देश को एक नया मौका मिला। शिशु मृत्यु दर कम होने के कारण देश में युवा आबादी लगातार बढ़ने लगी, इस घटना को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में जाना जाता

शिक्षित महिलाओं में लगातार घटती प्रजनन दर के आंकड़े समाज में बदलती मान्यताओं के परिचायक हैं। जनसांख्यिकी में उभरती यह स्थिति देश में जनसंख्या के बढ़ते स्तर के लिए शुभ संकेत नहीं है।

–स्वदेशी संवाद

है। 2001 के आंकड़े देखें तो देश में युवाओं (15 से 34 वर्ष आयु वर्ग) की आबादी कुल आबादी का 33.80 फीसदी थी, जो 2011 में बढ़कर 34.85 फीसदी हो गई। वर्तमान में यह कुल जनसंख्या के 35.3 फीसदी से ज्यादा है। जब हम पूरी संख्या पर नज़र डालते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज भारत में किसी भी अन्य देश की तुलना में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। जनसंख्या का यह वर्ग विकास में अधिक योगदान दे सकता है।

हर कोई इस स्थिति का फायदा उठाकर देश को तरक्की की राह पर ले जाने की बात कर रहा है। अधिकांश अर्थशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि यदि विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो जनसंख्या बोझ नहीं है। हमें अपनी युवा शक्ति का पूर्ण एवं कुशल उपयोग करने की आवश्यकता है।

जनसंख्या घटने का डर

अधिकांश 'विकसित देशों' में जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर शून्य से नीचे चली गई है। यानी उनकी आबादी कम हो रही है। ऐसे कई देशों में अप्रवासियों के आने से जनसंख्या में कुछ संतुलन आता है। फिर भी, इस स्थिति के लंबे समय तक जारी रहने की संभावना कम है। इन देशों में प्रजनन दर ने जनसंख्या वृद्धि में गिरावट का संकेत दिया।

ऐसी ही स्थिति अब भारत में बन रही है और देश का जनसांख्यिकीय लाभ केवल 2042 तक ही उपलब्ध है। इस प्रकार, 1.99 की सकल प्रजनन दर देश की प्रगति में आड़े आ सकती है।

सवाल केवल कुल प्रजनन दर में गिरावट का नहीं है, समाज के विभिन्न वर्गों में अलग–अलग दर को लेकर भी चिंताएं हैं। गौरतलब है कि सबसे पहले अशिक्षित महिलाओं में प्रजनन दर 1991 में 3.33 से बढ़कर 2001 में 3.36 हो गई और बाद में 2011 में यह घटकर 3.17 हो गई, लेकिन जो महिलाएं स्नातक या उससे ज्यादा पढ़ी हैं, उनमें प्रजनन दर लगातार गिर रही है। 1991 में यह 1.62 और 2011 में 1.40 थी। मैट्रिक से ऊपर और स्नातक स्तर से नीचे की शिक्षा प्राप्त महिलाओं में भी यही प्रवृत्ति देखी गई है। उनकी प्रजनन दर 1991 में 2.08 से घटकर 2011 में 1.77 हो गई।

आजकल कुछ युवा जोड़ों में शादी के बंधन से बचकर लिव-इन रिलेशनशिप का विकल्प चुनने की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। लिव-इन रिलेशन में रहने वालों के आमतौर पर बच्चे नहीं होते हैं। यहां तक कि जो लोग शादी कर लेते हैं उनमें से भी कई लोगों को बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। यह सोच, यानी डीआईएनकेएस (डबल इनकम नो किड्स) तेजी से लोकप्रिय हो रही है।

ये आंकड़े बताते हैं कि जो लोग अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर जीवन दे सकते हैं, उनके लिए प्रजनन दर कम है और जो नहीं दे सकते, उनके लिए प्रजनन दर अधिक है। यदि अशिक्षितों में प्रजनन दर अधिक है और शिक्षितों में कम है और घट रही है, तो भविष्य में जनसंख्या की संरचना गुणवत्ता के मामले में बदतर हो जाएगी।

'दोगुनी आय नहीं तो बच्चे नहीं'

शहरी क्षेत्रों में उच्च आय वाले इलाकों में जीवन का एक नया तरीका उभर रहा है और यह शिक्षित और उच्च शिक्षित लोगों के बीच अधिक प्रचलित है। यह सोच पश्चिम की उपभोक्तावादी मानसिकता से प्रेरित है। कामकाजी जोड़े अब परिवार बढ़ाने के बजाय अधिक स्वतंत्र और विलासितापूर्ण जीवन जीने की ख्वाहिश रखते हैं।

भारतीय समाज में परिवार संस्था का विशेष महत्व रहा है। माता–पिता अपने बच्चों और पोते–पोतियों के साथ रहते हुए खुश हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से संयुक्त परिवारों का चलन धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। यह पश्चिम के भोगवादी मानसिकता से प्रेरित है।

आजकल कुछ युवा जोड़ों में शादी के बंधन से बचकर लिव–इन रिलेशनशिप का विकल्प चुनने की प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। लिव–इन रिलेशन में रहने वालों के आमतौर पर बच्चे नहीं होते हैं. यहां तक कि जो लोग शादी कर लेते हैं उनमें से भी कई लोगों को बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। यह सोच, यानी डीआईएनकेएस (डबल इनकम नो किड्स) तेजी से लोकप्रिय हो रही है। और अगर उनके एक बच्चा है भी, तो कई जोड़े एक से अधिक बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं रखते हैं। इन सबके कारण पढ़े–लिखे युवाओं के बीच कम बच्चे पैदा हो रहे हैं।

शिक्षित महिलाओं में लगातार घटती प्रजनन दर के आंकड़े समाज में बदलती मान्यताओं के परिचायक हैं। जनसांख्यिकी में उभरती यह स्थिति देश में जनसंख्या के बढ़ते स्तर के लिए शुभ संकेत नहीं है। हालांकि, सैद्धांतिक रूप से, अशिक्षित और कम शिक्षित परिवारों में भी, बच्चे शिक्षा के माध्यम से बेहतर बन सकते हैं, लेकिन इस बात की अधिक संभावना है कि वे अशिक्षित और गरीब बने रहें। ऐसी स्थिति जनसंख्या की गुणवत्ता में कमी ला सकती है। इस विषय पर समाज और सरकार को गहन चिंतन की आवश्यकता है। ❑❑

पिछले एक दशक में भारत ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है

भारत का प्राचीन इतिहास गौरवशाली रहा है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस खंडकाल में भारत के ग्रामीण इलाकों में नागरिक सम्पन्न थे एवं हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री एवं इतिहासकार श्री एंगस मेडिसन ने अपने शोधग्रंथ में बताया है कि एक ईसवी से लेकर 1750 ईसवी तक के खंडकाल में विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 32 से 46 प्रतिशत के बीच तक रही है। भारत से हो रहे विभिन्न कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के निर्यात का भुगतान सोने में किया जाता था अतः भारत में स्वर्ण का अपार भंडार निर्मित हो गया था। इसलिए, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा था। परंतु, अरब आक्रांताओं एवं ब्रिटिश शासकों ने भारत को जमकर लूटा था और भारत को अति पिछड़ा एवं अति गरीब देश बनाकर छोड़ा। आज इतिहास ने पुनः एक नई करवट ली है और भारत अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में शासन द्वारा बनाई गई नीतियों का विशेष प्रभाव रहता है। पिछले 10 वर्षों के खंडकाल में भारत न केवल आर्थिक क्षेत्र बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्रों में भी मजबूत हुआ है और भारत ने पूरे विश्व में अपनी धाक जमाई है। आज भारतीय मूल के लगभग 3.20 करोड़ लोग विश्व के अन्य देशों में निवास कर रहे हैं। भारतीय मूल के इन नागरिकों ने भारतीय सनातन संस्कृति का पालन करते हुए इन देशों के स्थानीय नागरिकों को भी प्रभावित किया है जिससे विदेशी नागरिक भी अब सनातन संस्कृति की ओर आकर्षित होने लगे हैं। विशेष रूप से विकसित देशों में तो सामाजिक तानाबाना इतना अधिक छिन्न भिन्न हो चुका है कि अब ये देश आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं के हल हेतु भारत की ओर आशाभारी नजरों से देख रहे हैं।

भारत ने वर्ष 1947 में राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी और आज यदि पिछले 77 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास की बात करें तो ध्यान में आता है कि भारत ने पूरे विश्व में अपने लिए विशेष रूप से आर्थिक, अंतरिक्ष, विज्ञान, रक्षा–सुरक्षा, डिजिटल, योग एवं आध्यात्म जैसे क्षेत्रों में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज भारत एक वैश्विक ताकत बनाकर उभरा है। भारत आज न केवल अपने लिए सेटेलाईट अंतरिक्ष में भेज रहा है बल्कि विश्व के कई अन्य देशों के लिए भी सेटेलाईट अंतरिक्ष में स्थापित करने में सक्षम हो गया है। योग एवं आध्यात्म के क्षेत्र में तो भारत अनादि काल से विश्व गुरु रहा ही है, परंतु हाल ही के समय में भारत एक बार पुनः योग एवं आध्यात्म के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करने की ओर अग्रसर है। योग को सिखाने के लिए तो यूनाइटेड नेशन्स ने प्रति वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने का निर्णय लिया है और इसे पूरे विश्व में लगभग सभी देशों द्वारा बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। इसी प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत ने पूरे विश्व में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, डिजिटल एवं ड्रोन तकनीकी में तो भारत ने अपना लोहा पूरे विश्व में ही मनवा लिया है।

आर्थिक प्रगति के बल पर भारत एक बार पुनः अपने आपको विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने जा रहा है।

–प्रहलाद सबनानी

किसी भी देश के लिए आर्थिक प्रगति तभी सफल मानी जानी चाहिए जब उस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े नागरिक को भी उस देश की आर्थिक प्रगति का लाभ मिलता दिखाई

दे। इस दृष्टि से विशेष रूप से गरीबी एवं आय की असमानता को कम करने में भारत ने विशेष सफलता पाई है। जिसकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रकोष एवं विश्व बैंक ने भी जमकर सराहना की है। भारत में वर्ष 1947 में 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे, और अब वर्ष 2020 में देश की कुल आबादी का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। जबकि 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी जो आज बढ़कर लगभग 140 करोड़ हो गई है। वर्ष 2011 में भारत में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों की संख्या 22.5 प्रतिशत थी जो वर्ष 2019 में घटकर 10.2 प्रतिशत पर नीचे आ गई है। भारत के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों की संख्या बहुत तेज गति से कम हुई है। जहां ग्रामीण इलाकों में गरीबों की संख्या वर्ष 2011 के 26.3 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 11.6 प्रतिशत पर आ गई है तो शहरी क्षेत्रों में यह संख्या 7.9 प्रतिशत से कम हुई है। बहुत छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में 2013 और 2019 के बीच वार्षिक 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है वहीं अधिक बड़ी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में केवल 2 प्रतिशत की वृद्धि प्रतिवर्ष दर्ज हुई है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या में आ रही भारी कमी दरअसल केंद्र सरकार द्वारा समय समय उठाए जा रहे कई उपायों के चलते सम्भव हो पाई है।

आज भारत डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत ने डिजिटलीकरण के क्षेत्र में अतुलनीय प्रगति की है एवं आज भारत में 120 करोड़ से अधिक इंटरनेट, 114 करोड़ से अधिक मोबाइल एवं 65 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं। इस प्रकार भारत ने एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर लिया है। भारत में सार्वजनिक अधोसंरचना विकसित कर ली गई है ताकि देश के सभी नागरिक इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। यूनीफाईड पेमेंट इंटरफेस (न्च्) इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसके माध्यम से आज प्रतिदिन 100 करोड़ से अधिक बैंकिंग व्यवहार हो रहे हैं। आधार कार्यक्रम की सफलता के बाद तो डिजिटल इंडिया एक नए दौर में चला गया है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी डिजिटल इंडिया ने कमाल ही कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाई गई है। अब तो ड्रोन के लिए भी नए डिजिटल प्लेटफार्म का उपयोग हो रहा है एवं ड्रोन के माध्यम से कृषि को किस प्रकार सहयोग किया जा सकता है इस पर भी कार्य हो रहा है। ड्रोन के माध्यम से बीजों का छिड़काव आदि जैसे कार्य किए जाने लगे हैं।

भारत ने पिछले 10 वर्षों के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2014 से भारत ने सौर ऊर्जा में 18 गुना से अधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा में 1.97 गुना वृद्धि दर्ज की है। भारत ने अपने लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी प्रकार भारत ने आगामी 8 वर्षों में अपनी स्थापित बिजली का 40 प्रतिशत हिस्सा गैर—जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, आगामी 8 वर्षों में भारत में सौर और पावन ऊर्जा की संयुक्त स्थापित क्षमता 51 प्रतिशत हो जाएगी, जो अभी 23 प्रतिशत है।

भारत ने रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हैं एवं कई रक्षा उत्पादों का तो निर्यात भी किया जा रहा है। अभी हाल ही में भारत का स्वदेशी निर्मित तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया की पहली पसंद बनाकर उभरा है। मलेशिया ने अपने पुराने लड़ाकू विमानों के बेड़े को बदलने के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। जिसमें चीन के जेएफ—17, दक्षिण कोरिया के एफए—50 और रूस के मिग—35 के साथ साथ याक—130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद मलेशिया ने भारतीय विमान तेजस को पसंद किया है। आकाश मिसाइल भी भारत की पहचान है एवं यह एक स्वदेशी (96 प्रतिशत) मिसाइल है। आकाश मिसाइल के साथ ही कई अन्य देशों ने तटीय निगरानी प्रणाली, राडार और एयर प्लेटफार्मों को खरीदने में भी अपनी रुचि दिखाई है। भारत जल्द ही दुनिया के कई देशों यथा फिलीपींस, वियतनाम एवं इंडोनेशिया आदि को ब्रह्मोस मिसाइल भी निर्यात करने की तैयारी कर रहा है। कुछ अन्य देशों जैसे सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं दक्षिण अफ्रीका आदि ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में अपनी रुचि दिखाई है। आज भारत से 84 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात किया जा रहा है। इस सूची में कतर, लेबनान, इराक, इक्वाडोर और जापान जैसे देश भी शामिल हैं जिन्हें भारत द्वारा बॉडी प्रोटेक्टिंग उपकरण, आदि निर्यात किए जा रहे हैं।

कृषि क्षेत्र, रक्षा उत्पादों, फार्मा, नवीकरण ऊर्जा, डिजिटल व्यवस्था के साथ ही प्रौद्योगिकी, सूचना तकनीकी, आटोमोबाईल, मोबाइल उत्पादन, बुनियादी क्षेत्रों का विकास, स्टार्ट अप्स, ड्रोन, हरित ऊर्जा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी भारत अपने आपको तेजी से वैश्विक स्तर पर एक लीडर के रूप में स्थापित करने की ओर अग्रसर हो गया है। इस प्रकार आर्थिक प्रगति के बल पर भारत एक बार पुनः अपने आपको विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने जा रहा है। ❑❑

उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रहे हैं किसान

कई दशक पहले, प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी एवं वैज्ञानिक डॉ. एमएस रंधावा ने एक लेख में किसानों और खेती के बारे में लोकप्रिय धारणा के बारे में बात की थी। एक किसान निस्संदेह बहुत मेहनती होता है। सर्दी हो, गर्मी हो या फिर बारिश आती हो; आप हमेशा उसे खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए देख सकते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसानों ने अपने श्रम से, पसीना बहाकर अकेले ही देश को भूख के जंजाल से बाहर निकाला है। लेकिन डॉ. रंधावा को उस समय समाज में प्रचलित एक किसान की स्वीकृत छवि से परेशानी हुई। आमजन की कल्पना में, किसान एक सादी पोशाक पहनता है, अक्सर एक मैला कुर्ता व धोती पहनता है और टूटी–टांके लगी धूल–धूसरित जूती पहनकर चलता है। उम्मीद रहती है कि आने–जाने के लिए ज्यादा से ज्यादा साइकिल इस्तेमाल करता है, और जब भी आप उसे दोपहिया वाहन चलाते हुए देखते हैं, तो अक्सर भौंहें तन जाती हैं। हालांकि अब वक्त बदल गया है लेकिन किसान और खेती के बारे में धारणा अब भी पूर्ववत ही कायम है।

साइकिल की जगह भले ही दोपहिया वाहन ले चुका है, जिसे अब कार द्वारा बदला जा चुका है, ऊपरी तबके में किसानों के पास कई बार शानदार मॉडल भी होते हैं, लेकिन एक पेशे के रूप में खेती के बारे में आमजन की सोच में बहुत बदलाव नहीं आया है। ग्रामीण–शहरी विभाजन का प्रतिबिंब, खेती अभी भी शहरी हाशिये पर बनी हुई है। मिसाल के तौर पर, यदि कोई किसान शहरी दायरे में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो उसे अभी भी नापसंद किया जाता है, और यहां तक कि खान–पान के तौर–तरीके अपनाता है, जिसमें मिसाल के तौर पर पिज्जा खाना भी शामिल है। इसके अलावा, ऐसे समय में जब एक घरेलू सहायिका को अपने कार्यस्थल तक जाने को स्कूटी चलाते हुए देखना असामान्य नहीं है, एक किसान द्वारा ट्रैक्टर पर महंगे म्यूजिक सिस्टम का उपयोग करना मंजूर नहीं है।

असल में, खेती एक दोयम दर्जा शब्द बन गया है। किसानों के प्रति इतनी गहरी उदासीनता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों पर सवाल उठाने वाले प्रबल वृत्तांत के साथ ही तिरस्कार और अवमानना का भाव भी सामने आता है। विरोध कर रहे किसानों पर लगातार अपमानजनक

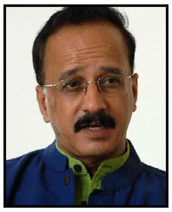

जब तक किसानों और समाज के अन्य वर्गों के बीच आय में बराबरी यकीनी बनाने के प्रयास नहीं किये जाते तब तक किसान अपनी छवि से बाहर नहीं निकल सकता है।

–देविन्दर शर्मा

शब्द कहे जा रहे हैं और मुख्यधारा के माध्यमों के साथ–साथ सोशल मीडिया पर भी अपमानजनक टिप्पणियां कृषक समुदाय के खिलाफ व्याप्त कुंठा के भावों का प्रतिबिंब हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसान बहुत पाला–पोसा जाता है, उन्हें भारी सब्सिडी व मुफ्त बिजली मिलती है, और वे इनकम टैक्स नहीं देते। किसानों की आय में कोई भी वृद्धि उपभोक्ता कीमतों पर असर डालेगी। जिसके परिणामस्वरूप खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी इसलिए किसानों को बढ़ी हुई आय के अधिकार से वंचित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

चारों ओर इतनी गलत सूचनाएं, और त्रुटिपूर्ण आर्थिक तर्क उछाले जा रहे हैं कि मिथक व वास्तविकता में भेद करना आसान नहीं। किसी भी मामले में, नीति–निर्माता, अर्थशास्त्री और मीडिया फैलाए जा चुके भ्रम से खुश लगते हैं। चाहे वह काल्पनिक खाद्य मुद्रास्फीति के आंकड़े हों या राष्ट्रीय खजाने पर संभावित वित्तीय बोझ, सभी प्रकार के संदिग्ध आंकड़े प्रचलित हैं। मूल मान्यता यह है कि किसानों की आय में कोई भी बढ़ोतरी बाजार को बिगाड़ देगी और इससे व्यापार और उद्योग के मुनाफे में कमी आएगी। हकीकत में, जो स्वाभाविक से भी ज्यादा हो चुका है वह ये कि किसान को निरंतर गरीबी में रखने को लेकर देश संतुष्ट नजर आता है।

यदि किसान इतने लाड़ले होते तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि औसत कृषि आय निम्नतम स्तर पर बनी रहनी चाहिये थी। जो पहले कहा जा चुका है उसे दोहराने के जोखिम पर, कृषि परिवारों के लिए स्थितिजन्य आकलन सर्वेक्षण 2021 की नवीनतम रिपोर्ट की गणना के मुताबिक, कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये है। इससे यह भी पता चला कि खेती से होने वाली आय मनरेगा श्रमिकों की मासिक मजदूरी से भी कम थी। इससे भी बुरी बात, किसानों की स्थिति पर देश के एक अंग्रेजी दैनिक में बीती 23 फरवरी को प्रकाशित विवरण से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में औसत कृषि आय अभी भी कम है और 5,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति परिवार प्रति माह के बीच है। यहां तक कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी, जहां 90 प्रतिशत से अधिक किसान परिवार कर्जदार हैं, आय बहुत कम है। एक अध्ययन में यह पता चला है कि आंध्र प्रदेश के कई सूखा प्रभावित जिलों में लगभग 14 प्रतिशत पारिवारिक आय सरकारी योजनाओं से आती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष आय मदद शामिल है।

इसके अलावा, जैसा कि कुछ दिन पूर्व पेश 2022–23 घरेलू खर्च सर्वेक्षण से पता चलता है कि एक पेशेगत उद्यम के रूप में खेती कितनी अनिश्चित हो गई है, जिसमें कृषि परिवारों का खर्च ग्रामीण परिवारों से कम हो गया है। आय कम होने के कारण उपभोग कम है। इसलिए यह कहना कि किसान आयकर नहीं देते, उचित नहीं है। एक राष्ट्र के रूप में क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम सबसे पहले किसानों को कर योग्य आय दें?

किसी भी स्थिति में, यह उपभोक्ता केंद्रित नजरिया ही है जो असल में किसान को सही कीमत प्रदान करने से इनकार करता है। एक–दो साल को छोड़ दें तो व्यापार की शर्तें नकारात्मक रही हैं। कई अध्ययनों में सामने आया कि एक दशक से ज्यादा वक्त से ग्रामीण मजदूरी स्थिर है या फिर घट रही है। कृषक परिवारों के उपभोग स्तर में गिरावट भी यह इंगित करती है। और फिर भी, जैसे ही उच्चतर एमएसपी घोषित किया जाता है, अखबारों के संपादकीय लगभग हर बार इसे खाद्य मुद्रास्फीति में प्रत्याशित बढ़ोतरी से जोड़ने लगते हैं।

दरअसल, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी द्वारा जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी की गणना करने के बाद उनकी कीमतों की घोषणा की जाती है, तो वह उनकी कीमतों की सिफारिश करने से पहले इनपुट–आउटपुट मूल्य समानता और बाजार कीमतों के रुझान पर गौर करता है। इसके अलावा, खाद्य मुद्रास्फीति को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जायज सीमा के भीतर रखने से, लोगों को अक्सर यह अहसास नहीं होता है कि किसान वास्तव में उपभोक्ताओं और इस तरह देश की अर्थव्यवस्था को सब्सिडी देते हैं।

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी के हालिया अध्ययन बताता है कि भारतीय किसान साल 2000 से घाटे की खेती कर रहे हैं, जिस वर्ष इसने उत्पादक–सब्सिडी मदद का आकलन करना शुरू किया था। किसानों को जो आर्थिक नुकसान हुआ है वह मार्केट में किसानों को मिलने वाली कीमत और सब्सिडी, कुछ राज्यों में फ्री बिजली मदद भी, को जोड़ने के बाद हुआ है। ओईसीडी डेटा यह भरपूर स्पष्ट करता है कि बाजार को कायम रखने के लिए, हमने जान–बूझकर खेती को कंगाल बनाए रखा है।

जब तक हम किसान को मूलभूत जरूरतों से वंचित रखना जारी रखेंगे, तब तक डॉ. एमएस रंधावा द्वारा उकेरी गयी किसान की छवि बदलने वाली नहीं है। किसान को संकट से उबारने के लिए एमएसपी की गारंटी पहला कदम होगा, लेकिन उसे दशकों से हो रहे घाटे की पूर्ति करने के लिए और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। जब तक किसानों और समाज के अन्य वर्गों के बीच आय में बराबरी यकीनी बनाने के प्रयास नहीं किये जाते तब तक किसान अपनी छवि से बाहर नहीं निकल सकता है। ❑❑

https://www.dainiktribuneonline.com/news/comment/farmers-are-giving-subsidy-to-consumers/

चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ एवं पारदर्शी हो

चुनावी चंदा (इलेक्टोरल बॉन्ड) पर जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, वह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत है और उस पर विशेष टिप्पणी करने का कोई अर्थ नहीं है। परंतु इस संबंध में जो पहली चीज विचार करने लायक है, वह यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को क्यों लाया गया था? राजनीतिक दलों को चंदा संग्रह करने का अधिकार है और जमा की गयी धनराशि पर उन्हें कोई आयकर भी नहीं देना होता है। उन्हें जो पैसा चंदे या दान के रूप में मिलता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उसकी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करायेंगे। पहले जो धन बैंक चेक या ड्राफ्ट के माध्यम से हासिल होता था, उसकी जानकारी तो मिल जाती थी, लेकिन नगदी चंदे के बारे में पारदर्शिता का पूरा अभाव था। यह तो स्थापित तथ्य है कि हमारे देश की राजनीति और चुनावी प्रक्रिया में काले धन की मौजूदगी जमाने से रही है और इस समस्या के समाधान पर लंबे समय से चर्चा भी होती रही है। काले धन की वजह से यह चलता रहा कि पैसा देने वाले राजनीतिक दलों और उनकी सरकारों से बेजा फायदा उठाते रहे। यह स्थिति हमारी राजनीतिक प्रणाली के लिए एक गंभीर चुनौती थी। इस पृष्ठभूमि में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लाकर यह प्रयास हुआ कि काले धन की समस्या को रोका जाए, उसे हतोत्साहित किया जाए।

वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था लागू की गयी, जिसमें यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जा सकता है और किसी पार्टी को दिया जा सकता है। एक निर्धारित समयावधि के अंदर पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड को भुना लेती थीं। इस पद्धति में यह सूचना सार्वजनिक करने का प्रावधान नहीं था कि किस पार्टी को किस व्यक्ति या संस्था ने कितना चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया है। इस प्रावधान पर सर्वोच्च न्यायालय ने आपत्ति जतायी है और कहा है कि चुनावी चंदे के लेन–देन में समुचित पारदर्शिता होनी चाहिए. अभी इस ताजा फैसले में अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को रोक दिया है और कहा है कि भारतीय स्टेट बैंक

चुनाव में काले धन का प्रकोप जिस स्तर पर था, उससे निपटने की दिशा में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था एक प्रगतिशील कदम थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में यह कानून बना, इसलिए सरकार को यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की आपत्तियों और निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक संशोधित व्यवस्था लायी जाये।

–स्वदेशी संवाद

किसी भी व्यवस्था या नियम का उद्देश्य यही है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धन-बल का हस्तक्षेप न हो और स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव हों।

इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करना बंद कर दे। सर्वोच्च न्यायालय की प्रमुख आपत्ति पारदर्शिता को लेकर ही है, जो व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड के आने से पहले से थी और जिस प्रकार राजनीतिक दल पैसा जुटाते थे, उसमें भी पारदर्शिता का बड़ा अभाव था। साथ ही, यह भी समस्या थी कि जो लोग भारी मात्रा में नगदी दे रहे हैं, उनके पैसे का स्रोत क्या है. इसका पता लगा पाना असंभव था। अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को लागू करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को कायम रखा जाए, तो आगे शायद अदालत को कोई आपत्ति नहीं होगी। हमारे देश में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या सैकड़ों में है। ऐसे में यह तो संभव है नहीं कि धन का कोई एक केंद्रीय संग्रहण हो और सभी दलों को उसमें से एक समान हिस्सा मुहैया कराया जाए। दलों की विचारधारा अलग-अलग हैं। मान लीजिए कि मुझे चंदा देना है और मैं समझ रहा हूं कि किसी दल की विचारधारा और कार्यक्रम संकीर्ण सोच पर आधारित है तथा देश के लिए नुकसानदेह हैं, तो मैं उस दल को चंदा नहीं देना चाहूंगा। अगर सभी दलों को एक समान चंदा मिलेगा, तो पार्टी बनाना एक धंधा बन जायेगा। ऐसे में यह व्यक्ति या संस्था पर निर्भर करता है कि वह किसी एक दल को चंदा दे या कुछ दलों में अपनी धनराशि को अपनी समझ से बांट दे। यह कई लोगों की समझ है और मैं इससे सहमत हूं कि चुनावी चंदे के मामले में नगदी का चलन नहीं होना चाहिए और चंदा हमेशा ऐसी व्यवस्था के तहत लिया और दिया जाए, जिससे उसके स्रोत के बारे में सही जानकारी मिल सके। यदि सर्वोच्च न्यायालय का यह मानना है कि पारदर्शिता के साथ यह पता चलना चाहिए कि किस दल को किस व्यक्ति या संस्था ने कितनी धनराशि दी है, तो यह कानून की एक व्याख्या है और इसे सकारात्मक रूप में लेना चाहिए।

हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को सरकार ने नहीं स्वीकार करते हुए संसद में फिर से कानूनों को पारित किया. साथ ही, ऐसे उदाहरण भी हैं, जब अदालती आदेशों के मुख्य बिंदुओं को स्वीकार करते हुए और कानून में उन्हें समाहित करते हुए संशोधित कानून पारित किये गये। चूंकि अभी सरकार को भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पढ़ने और उस पर विचार करने के लिए समय चाहिए, इसलिए हमें सरकार के पक्ष को विस्तार से सामने आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर सरकार को ऐसा लगेगा कि सर्वोच्च न्यायालय की आपत्तियों के अनुरूप वर्तमान व्यवस्था को और भी पारदर्शी बनाने की आवश्यकता है, तो वह एक संशोधित प्रारूप संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। लेकिन यह कार्य अभी तुरंत नहीं हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि देश कोई एक दो दिन या वर्ष के लिए नहीं होता। राष्ट्र की यात्रा सतत् होती है। इस यात्रा में व्यवस्थाएं बनती हैं, बदलती हैं और टूटती भी हैं। कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और मई में नयी लोकसभा और सरकार का गठन हो जायेगा। इसलिए इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर अल्पकालिक दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता नहीं हैं। चूंकि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का है, तो देश और सरकार को उसका सम्मान करना है, लेकिन यह अवश्य कहा जाना चाहिए कि चुनाव में काले धन का प्रकोप जिस स्तर पर था, उससे निपटने की दिशा में इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था एक प्रगतिशील कदम थी। इसी सरकार के कार्यकाल में यह कानून बना था, इसलिए इसी सरकार को यह देखना होगा कि सर्वोच्च न्यायालय की आपत्तियों और निर्देशों का अनुपालन करते हुए एक संशोधित व्यवस्था लायी जाए। ऐसा तो अब नहीं हो सकता है कि हम पहले के काले धन वाले समय में लौट जाएं, जहां न तो पैसे के स्रोत का पता चलता था और न ही पैसा देने वाले के बारे में। आज भी हर चुनाव में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग बड़ी मात्रा में नगदी की धर-पकड़ करता है। पहले भी कई बार आयोग की ओर से कहा जा चुका है कि चुनावों में बाहर से पैसा आने के अंदेशों को खारिज नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यवस्था या नियम का उद्देश्य यही है कि हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धन-बल का हस्तक्षेप न हो और स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव हों। ❑❑

उत्पादन में अव्वल, लेकिन अनाज भंडारण में कमी

भारत सबसे ज्यादा अन्न उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन भंडारण क्षमता में पीछे है। अनाज के अन्य बड़े उत्पादक देशों चीन, अमेरिका, ब्राजील, रूस और अर्जेंटीना के पास वार्षिक उत्पादन से अधिक की भंडारण क्षमता है।भारत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम चलाता है, जिसमें लगभग 81 करोड़ लोग शामिल हैं। इसलिए, एक अरब से अधिक आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं का एक मजबूत नेटवर्क आवश्यक हो जाता है।

भारत में वर्षा में गर्मी के साथ हवा में उपस्थित आर्द्रता कवक/फफूंद की उत्पत्ति के लिये ज़िम्मेदार कारक है। इन दिनों कवक के हमले से खाद्य पदार्थों की सुरक्षा के लिये हम अपने घरों में अच्छी तरह से फिटिंग वाले ढक्कन तथा सीलबंद प्लास्टिक बैग, एयरटाइट कंटेनरों में खाद्य पदार्थों का भंडारण करते हैं। इसी तरह भारत में अधिकांश अनाज, जिसे सरकार द्वारा किसानों से खरीदा जाता है, सीएपी या कवर और प्लिंथ विधि का उपयोग करके संग्रहीत किया जाता है। एक आँकड़े के मुताबिक भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और किराये वाली जगहों पर इस तरह के ढाँचे में 30.52 मिलियन टन चावल, गेहूँ, मक्का, चना और ज्वार का भंडारण किया जाता है।

राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना एक ऐतिहासिक पहल है जो जमीनी स्तर पर अनाज भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करके खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, बर्बादी को कम करने और पूरे भारत में किसानों को सशक्त बनाने का वादा करती है।

–विनोद जौहरी

भारत जैसे विकासशील देश में अनाज के कुल उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत भाग विभिन्न कारणों से उपभोग उपयुक्त नहीं रह पाता। जिसका कारण भण्डारण की समुचित व्यवस्था का अभाव प्रमुख है। किन्तु भारतवर्ष जैसे विशाल देश और विशाल कृषि उत्पाद हेतु भण्डारण व्यवस्था तुरंत ही सुधारा नहीं जा सकता, इसलिए कृषकों को अपने स्तर पर ही फसल की कटाई के बाद अनाज को पूरी तरह से सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अनाज को हानि पहुंचाने वाले अनेक कीट व चूहे सदा घात लगाए बैठे रहते हैं। अनाज भंडारण की आवश्यकता और प्राथमिकता इसलिए भी अधिक है क्योंकि असुरक्षित अनाज जिसको भंडारण की सुविधा नहीं मिली, वह स्वास्थ्य कारणों से भी उपभोक्ता के अहितकारी है।

अवैज्ञानिक भंडारण, कीट, चूहे, सूक्ष्म जीवाणु आदि के कारण कुल उत्पादित खाद्यान्नों के लगभग 10 प्रतिशत की फसल कटाई उपरान्त हानि होती है। भारत में वार्षिक भंडारण हानि 7000 करोड़ रूपए कीमत के लगभग 14 मिलियन टन खाद्यान्न हैं, जिसमें अकेले कीटों से हानि लगभग 1300 करोड़ रूपए है। भंडारण कीट द्वारा प्रमुख हानि न केवल उनके द्वारा अनाज को खाने से होती है बल्किर संदूषण से भी होती है। जिनसे कीटों लगभग 600 प्रजातियां जुड़ी हैं। भंडारित उत्पादों के कीटों की लगभग 100 प्रजातियां आर्थिक हानि पहुँचाती हैं। विश्वय बैंक की रिपोर्ट (1999) के अनुसार भारत में फसलोत्तर हानि प्रति वर्ष 12 से 16 मिलियन टन खाद्यान्न है, जो भारत के एक तिहाई गरीबों का पेट भर सकती है।

दोषपूर्ण भंडारण से उत्पन्न समस्या

फफूंद लगा अनाज विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, "माइकोटॉक्सिन्स", जो फफूंद लगे अनाज/खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं तथा मानव स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होते हैं और एफ्लाटॉक्सिन (कैंसर पैदा करने), ट्राइकोथेसेन, ओक्रेटॉक्सिन्स, साइट्रिनिन और अन्य विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भोजन में एफ्लाटॉक्सिन की उच्च सांद्रता पेट दर्द, उल्टी, हेपेटाइटिस और कभी–कभी मृत्यु का कारण भी बनता है। यही कारण है कि पारंपरिक जानकारी के अनुसार, फफूंद लगे भोजन को खराब माना जाता है। उल्लेखनीय है कि आज भी हमारे यहाँ अनाज, विशेष रूप से गेहूँ और धान, बरसात के मौसम में तिरपाल के नीचे सड़क पर संग्रहीत किया जाता है।इसके बाद अनाज को आटा या आटा आधारित उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम फफूंद से बचाने के लिये एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करते हैं।ऐसी स्थिति में माइकोटॉक्सिन अनाज के संग्रहण के समय से ही इसमें मौजूद रहते हैं और बाद में भोजन के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। उल्लेखनीय है कि माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से कुछ कवकों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ होते हैं और भोजन में पाए जाते हैं। विभिन्न फसलों और खाद्य पदार्थों जैसे कि अनाज, नट, मसाले, सूखे फल, सेब और कॉफी सेम में अक्सर ये गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में बढ़ते हैमाइकोटॉक्सिन से स्वास्थ्य पर विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते है और यह मनुष्यों तथा पशुओं दोनों के लिये गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा कर करता है। माइकोटॉक्सिन से स्वास्थ्य पर के कई प्रतिकूल प्रभाव जैसे– प्रतिरक्षा की कमी और कैंसर आदि होने का खतरा रहता है।

केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना "राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना"को स्वीकृति दी है। इस पर लगभग एक लाख करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। प्रत्येक प्रखंड में दो हजार टन क्षमता के गोदाम बनाये जायेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि देश में कुल 1450 लाख टन अन्न भंडारण की क्षमता है। अब सहकारिता क्षेत्र में 700 लाख टन भंडारण की अतिरिक्त क्षमता पर काम प्रारंभ होगा। अगले 5 वर्षों में भंडारण क्षमता बढ़ाकर 2150 लाख टन कर दी जायेगी। केंद्रीय मंत्री ने इसे सहकारिता क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा अन्न भंडारण कार्यक्रम बताया।

इस योजना के चार उद्देश्य हैं। अन्न भंडारण सुविधाओं की कमी के कारण अनाज की बरबादी पर नियंत्रण और किसानों को अनुचित रूप से कम दामों पर फसल बेचने से रोकना। इसके साथ ही आयात पर निर्भरता कम करना और गांवों में रोजगार सृजन करना भी इसका उद्देश्य है।

भंडारण बढ़ाने से अनाज की परिवहन लागत कम होगी, जिससे खाद्य सुरक्षा में दृढ़ता आयेगी। देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 31 करोड़ टन से अधिक का अनाज उत्पादन होता है परंतु वर्तमान भंडारण क्षमता के अंतर्गत गोदामों में कुल उपज का 47 प्रतिशत तक ही रखा जा सकता है। गोदामों के अभाव में 12 से 14 प्रतिशत अन्न नष्ट हो जाता है।

योजना के शीघ्रता से कार्यान्वयन के लिए सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालयीय समिति का गठन किया जायेगा। समयबद्ध और एकरूपता के साथ कार्यान्वयन के लिए सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में कम से कम दस चयनित जिलों में पायलट योजना चलायेगा। इस योजना के अंतर्गत 2000 टन का अन्न भंडारण का गोदाम हर ब्लॉक में बनाया जाएगा।

योजना की गंभीरता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर ही समन्वय समिति का गठन कर दिया जायेगा। 15 दिनों के भीतर कार्यान्वयन दिशा निर्देश जारी कर दिये जायेंगे। डेढ़ महीने के भीतर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को भारत और राज्यों की सरकारों के साथ संयोजित करने के लिए एक पोर्टल प्रारंभ किया जायेगा। 45 दिनों के भीतर प्रस्ताव का कार्यान्वयन भी प्रारंभ हो जायेगा।

देश में लगभग एक लाख प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं जिनके 13 करोड़ से अधिक किसान सदस्य हैं। एक लाख पैक्स में से लगभग 63,000 परिचालन में हैं। योजना के माध्यम से पैक्स को दृढ़ता मिलेगी। पैक्स के स्तर पर भंडारण गृह, कस्टम हायरिंग केंद्र, प्रसंस्करण इकाई जैसी कृषि अवसंरचनाएं बनायी जायेंगी। इससे पैक्स बहुउद्देशीय बन सकेंगे। गोदामों के निर्माण से भंडारण की आधारभूत संरचनाओं की कमियां दूर होंगी। पैक्स को अन्य गतिविधियां करने में भी सक्षम किया जायेगा।

वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन केवल एमएसपी की गारंटी तक ही मुख्य रूप से सीमित हैं जबकि कृषि की आधारभूत संरचनाओं पर योजनाएं और उनका शीघ्रता से कार्यान्वयन भी उतना ही अधिक आवश्यक है।

राष्ट्रीय सहकारी अनाज भंडारण परियोजना एक ऐतिहासिक पहल है जो जमीनी स्तर पर अनाज भंडारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करके खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, बर्बादी को कम करने और पूरे भारत में किसानों को सशक्त बनाने का वादा करती है। यह योजना कृषि परिदृश्य को बदलने और कृषक समुदाय की भलाई सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। ❑❑

बे-मौसम बरसात से तहस-नहस हो गई दलहन-तिलहन की खेती

प्राकृतिक आपदाओं या जलवायु परिवर्तन के असर को समाप्त करना संभव नहीं है फिर भी समय पर अग्रिम तैयारी करके इसके प्रभाव को सीमित जरूर किया जा सकता है। विशेषकर विपरीत परिस्थितियों में भी खेती किसानी से जुड़े लोगों को संभालने की जिम्मेवारी कल्याणकारी राज्य को उठानी ही चाहिए।

–शिवनंदन लाल

बारिश को आमतौर पर प्रकृति का वरदान कहा जाता है, लेकिन तब, जब समय पर हो? मशहूर ग्रामीण कृषि विज्ञानी घाघ ने खेती के लिहाज से बारिश के बारे में चेताते हुए कहा है "अगहन दूना, पुस सवाई। माघ फागुन में घरों के जाई"।। हालिया बे–मौसम की बारिश से महाकवि की उक्ति चरितार्थ हुई है। उतरते माघ और चढ़ते फागुन में रुक–रुक कर हुई कई दिनों की बारिश ने अन्नदाताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। चना, मसूर, तिलहन की खेती करने वाले किसानों की कमर टूट गई है, खेती से आमदनी तो दूर, जिन किसानों ने किराए पर खेत और कर्ज लेकर दलहन–तिलहन की खेती की है उनकी लागत भी निकलने की गुंजाइश नहीं है।

खेती किसानी पर संकट के बादल कुछ सालों से लगातार मंडरा रहे हैं। किसान की लागत भी वसूल नहीं हो पा रही है। किसान अपनी लागत और पैदावार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। ऊपर से प्रकृति भी उनका साथ नहीं दे रही है। रुक–रुक कर इधर हुई तीन–चार दिनों की बारिश से फसलों की भारी हानि हुई है। इस हानि की भरपाई कौन करेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं देता? हालांकि कई प्रदेशों की सरकारों ने मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन इस तरह का मुआवजा कब और कितने दिनों बाद दिया जाता है और पीड़ित को क्या मिलता है, इसकी कड़वी सच्चाई से किसान पूरी तरह वाकिफ है। साधारण और साफ शब्दों में कहें तो लाखों के नुकसान पर सैकड़ो के मुआवजे की व्यवस्था होती है वह भी महीनों चप्पल घिसने के बाद।

पिछले साल भी अप्रैल के महीने में असमय बारिश से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकारों ने 75 प्रतिशत से अधिक के नुकसान पर 12 हजार से लेकर 15 हजार प्रति एकड़ राहत राशि का निर्णय लिया था,लेकिन अधिकांश किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका। दरअसल मौसम की वजह से हुए नुकसान पर सरकारें तात्कालिक रूप से सहायता की घोषणाएं तो करती ही हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी किसानों को राहत दी जाती है, लेकिन इस योजना में किसानों को कई तरह की व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विडंबना यह है कि ऐसे मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी

दीर्घकालिक नीति नहीं बन पाई जो किसानों को स्थाई रूप से राहत प्रदान कर सके। यही कारण है कि कृषि के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर प्रगति होने के बावजूद आज भी खेती करना चुनौती पूर्ण काम है। इस प्रगतिशील दौर में भी खेती काफी हद तक मौसम पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित मानसून के चलते भी खेती की चुनौतियां लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसान इन चुनौतियों के चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।

मौसम अनुकूल रहने के कारण इस बार रवि की खेती खासकर दलहन और तिलहन बड़ी मात्रा में और समय से हुई थी। अगहन और पूस के महीने में कुदरत भी मेहरबान थी। फसल उठान पर थी। लहलहाती फसल के भरोसे खेतिहर किसान इस सीजन में अपने कई अरमान भी पूरे करने का सपना देख रहे थे। लेकिन बारिश ने रबी की फसलों को नष्ट कर दिया। मसूर, चना, तिलहन तहस नहस हो गया, वहीं तेज हवा के झोंकों से गेहूं की फसल जमीन पर बिछ गई। रही सही कसर ऊपर से गिरे ओले ने पूरी कर दी।

बे–मौसम की बारिश मौसम वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती बनी हुई है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप ग्लोबल वार्मिंग, दुर्बल पश्चिमी विक्षोभ और प्रबल उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम को मोटे तौर पर बेमौसम बारिश का कारण बताया जाता रहा है लेकिन इन दोनों अल नीनो परिघटना केंद्र में है। अल नीनो में पश्चिमी प्रशांत महासागर का गर्म जल पूर्व की ओर प्रवाहित होता है, जिसके परिणाम स्वरुप कुछ क्षेत्रों में सुखे की स्थिति जबकि उसी समय में अन्य क्षेत्रों में बे–मौसम बारिश की स्थिति उत्पन्न होती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्ष 2023 24 की अल नीनो परिघटना ने अब तक के पांच सर्वाधिक प्रचंड अल नीनो में से एक होने का रिकॉर्ड कायम किया है जो कमजोर रुख के बावजूद आने वाले महीनों में भी वैश्विक जलवायु को प्रभावित करना जारी रखेगी। संगठन ने जानकारी दी है कि मार्च से लेकर मई के दौरान अल नीनो के बने रहने की 60 प्रतिशत संभावना है। भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि जून से अगस्त तक ला नीना की स्थिति बनने का मतलब यह हो सकता है कि इस साल मानसून की बारिश पिछले साल की तुलना में बेहतर होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि अल नीनो का वैश्विक जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव इसके उत्पन्न होने के दूसरे साल देखने को मिलता है, इसलिए भी अबकी बार वर्ष 2024 में इसका प्रभाव दिखेगा। वर्तमान अल नीनो घटना जो जून 2023 में विकसित हुई नवंबर और जनवरी के बीच सर्वाधिक प्रचंड थी। इसके चलते समुद्री सतह तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। भारतीय वैज्ञानिकों का एक मत यह भी है कि इस बार पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश देर से और कम होने के कारण पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ा और ऊपर–ऊपर ही निकल गया, जिसके कारण मौसम में तब्दीली होती रही। अल नीनो प्रभाव के कारण दुनिया के स्तर पर वर्ष 2023 सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया जा चुका है। जंगलों की कटाई, अंधाधुंध शहरीकरण, बेतहाशा प्रदूषण जैसी मानवीय गतिविधियां भी बदलते मौसम मिजाज का कारण है।

अधिकांश फसल अभी फूल पर थी। जिन फसलों में दाने आ रहे थे उनका दाना अभी पुष्ट नहीं हुआ था। जिन किसानों ने तिलहन की फसल काट ली थी अब उसके सड़ जाने का खतरा बढ़ गया है। देशभर में बेतहाशा बारिश के साथ–साथ कई जगहों पर मोटे–मोटे ओले भी पड़े हैं। बारिश की वजह से जो फसलें खेतों में गिर गई है उनका फिर से खड़ा होना और खड़ा होने के बाद उसके दाने का बना रहना मुश्किल है। मसूर, सरसों, सब्जियां, प्याज आदि की फसलों को कुछ अधिक ही नुकसान हुआ है। ये ऐसी फसलें होती है जो कमजोर मानी जाती हैं और हल्की बारिश में भी खराब हो जाती है। नुकसान को देखने के बाद किसान अपना कलेजा पकड़कर खेतों की मेड़ों पर बैठे हैं। उनके रोने–चिल्लाने की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब फैल रही है।

फसलों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय स्तर पर जो योजनाएं हैं, कुदरती आपदाओं के समय छोटे किसानों के काम नहीं आती हैं। कम जोत वाले किसान की पहुंच प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना तक अब भी नहीं है।

दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि कृषि के क्षेत्र में अनेक शोध और अध्ययन होने के बावजूद किसानों पर लगातार मौसम की मार पड़ रही है। न तो अकादमी की जगत और न हीं सरकार कोई ऐसा तंत्र विकसित कर पाए हैं जो मौसम की मार से किसानों को राहत दिला सकें। असामान्य मौसमी घटनाओं ने इतना विकराल रूप ले लिया है की आजीविका और जीवन के लिए ही संकट उठ खड़ा होने को है। ऐसे में कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत है, जो किसानों को त्वरित राहत के लिए एक ठोस तंत्र स्थापित करें और सभी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए एक छत के नीचे समाधान तलाशे। हालांकि प्राकृतिक आपदाओं या जलवायु परिवर्तन के असर को समाप्त करना संभव नहीं है फिर भी समय पर अग्रिम तैयारी करके इसके प्रभाव को सीमित जरूर किया जा सकता है। विशेषकर विपरीत परिस्थितियों में भी खेती किसानी से जुड़े लोगों को संभालने की जिम्मेवारी कल्याणकारी राज्य को उठानी ही चाहिए। ❑❑

पानी के बिना संकट में जिंदगानी

अच्छा कमा रहे हैं, करोड़ों की कीमत वाला फ्लैट है। खाते में हर महीने मोटी तनख्वाह आ रही है। घर का बाथरूम ऐसा है कि उसमें महंगे शावर और नल भी लगे हैं, मगर उन लग्जरी बाथरूम के हाल यह हैं कि नल सूखे पड़े हैं। फ्लश करने के लिए भी मुंबई के चाल की तरह बाल्टी भरकर पानी लाना पड़ रहा है। इनकम टैक्स के कागजों में मोटा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन टैंकर के आगे पानी के लिए हाथ में बाल्टी लिए लाइन लगा रहे हैं। यह दृश्य है कर्नाटक की राजधानी और देश के सबसे बड़े आईटी सेक्टर के केंद्र बेंगलुरु में पानी की कमी का।

बेंगलुरु में पानी की किल्लत लगातार बढ़ रही है और अब स्थिति यह है कि वहां के प्रशासन को पानी के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के नियम बनाने पड़े हैं। वहां स्विमिंग पूल के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। गाड़ी धोते हुए पाए जाने पर जुर्माना का प्रावधान है। यही कारण है कि कुछ लोग शहर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं वहीं वर्क फ्रॉम होम की डिमांड भी एकाएक बढ़ गई है।

रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु की कुल आबादी 1.42 करोड़ है और रोजाना पानी की खपत 270 से लेकर 290 करोड़ लीटर है, मगर अभी पानी की आपूर्ति 100 से 120 करोड़ लीटर ही हो पा रही है, जो कि जरूरत से आधे के बराबर है। कावेरी नदी के अलावा यहां पानी का सोर्स केवल बोरवेल है। मगर 3000 से ज्यादा बोरवेल सूख चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु में पानी की कमी का कारण अपर्याप्त बारिश, भूजल स्तर में कमी और बगैर सोचे समझे हो रहे निर्माण कार्य हैं।

विभिन्न शोधों से पता चला है कि पानी और स्वच्छता में सुधार के लिए निवेश किया गया प्रत्येक एक डालर औसतन 4.30 डालर की वापसी देता है। इसलिए जरूरी है कि सरकारें भूजल के सामान्य अच्छे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संसाधन संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं।

– डॉ. दिनेश प्रसाद मिश्रा

हालांकि तेजी से बढ़ती आबादी और बदलती जलवायु के बीच, दुनिया भर में पानी को लेकर तनाव बढ़ रहा है। अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। दुनिया के छह सबसे अधिक पानी की कमी वाले देशों में जल संकट मुख्यतः कम आपूर्ति के कारण है। तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण यह और बढ़ गया है, जो दशकों की आसमान छूती आय के साथ–साथ बीस वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है। मसलन, सऊदी अरब, जो 'जीसीसी' आबादी का साठ फीसद से अधिक हिस्सा है, अब अमेरिका और कनाडा के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रति व्यक्ति जल उपभोक्ता है। जीसीसी देशों में कृषि योग्य भूमि पांच फीसद से कम है। कृषि जल की मांग मुख्य रूप से भूजल दोहन से पूरी की जाती है, जिससे भूजल स्तर में उल्लेखनीय कमी आती है। नासा उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए 2019 के एक अध्ययन से पता चला कि अरब प्रायद्वीप सबसे अधिक तनावग्रस्त है।

भारत की स्थिति इस मामले में और भी चिंताजनक है। देश की कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है, उर्वरकों और कीटनाशकों के व्यापक उपयोग के साथ–साथ भूजल संसाधनों के विकास पर आधारित थी। 1950 के दशक की शुरुआत में भारत ने भूजल के बड़े पैमाने पर नलकूपों को प्रोत्साहित किया और सब्सिडी दी, जिससे खोदे गए नलकूपों की संख्या दस लाख से बढ़कर लगभग तीन करोड़ हो गई।

भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक भूजल दोहन करता है, मुख्यतः गेहूं, चावल और मक्का जैसी फसलों की सिंचाई के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त या सस्ती बिजली से किसानों द्वारा जब–तब नलकूप चलाने के कारण भूजल निकासी में और वृद्धि हुई है।

भारत में पूरी दुनिया की 17 प्रतिशत आबादी रहती है लेकिन उस अनुपात में जब पानी की बात की जाए तो वह सिर्फ चार प्रतिशत के करीब बैठता है। हैरानी की बात है कि भारत में पूरी दुनिया का सिर्फ चार प्रतिशत शुद्ध जल का स्रोत है। यह आंकड़ा ही बताने के लिए काफी है कि हालत कितने विस्फोटक हैं और मांग की तुलना में आपूर्ति कितनी कम हो रही है।

भारत में वाष्पीकरण के बाद वार्षिक उपलब्ध पानी 1999 अरब घनमीटर है, जिसमें से उपयोग योग्य जल क्षमता 1122 घनमीटर है। भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है, जिसका अनुमानित उपयोग प्रति वर्ष लगभग 251 घनमीटर है, जो कुल वैश्विक खपत के एक चौथाई से अधिक है। साठ फीसद से अधिक सिंचित कृषि और पचासी फीसद पेयजल आपूर्ति इस पर निर्भर है और बढ़ते औद्योगिक/शहरी उपयोग के साथ भूजल का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। अनुमान है कि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2050 तक 1250 घन मीटर कम हो जाएगी। यह देश के बड़े हिस्से में एक गंभीर समस्या है, न कि केवल उत्तर–पश्चिमी, पश्चिमी और प्रायद्वीपीय भारत में। भारत में वैश्विक आबादी के सत्रह फीसद का घर हैं, लेकिन इसके पास जल संसाधनों का केवल चार फीसद है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी को किसी न किसी स्तर पर अत्यधिक जल तनाव का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में दुनिया का 80 प्रतिशत से अधिक अपशिष्ट जल बिना किसी उपचार के वापस नदियों, नालों और महासागरों में छोड़ दिया जाता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को व्यापक नुकसान होता और महत्वपूर्ण मानव जल स्रोत प्रदूषित होते हैं। भूजल संदूषकों का पता लगाने और प्रबंधन करने के लिए सतही जल की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण का आवश्यकता होती है। यह धीरे–धीरे होता है और इसके गंभीर परिणाम होते हैं। एक बार जब गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो उसे ठीक होने में बहुत अधिक समय लगता है। समस्या यह है कि भूजल गुणवत्ता प्रबंधन को सार्वभौमिक रूप से तब तक उपेक्षित किया जाता है जब तक कि मानवीय और आर्थिक लागत इतनी स्पष्ट न हो जाए कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो।

मनुष्य विश्व स्तर पर हर साल लगभग चार हजार घन किलोमीटर पानी निकालता है, जो पचास साल पहले की हमारी निकासी का तिगुना है। यह निकासी प्रति वर्ष लगभग 1.6 फीसद की दर से बढ़ रही है। इसका अधिकांश हिस्सा कृषि के लिए होता है। ऊर्जा उत्पादन वर्तमान में वैश्विक जल खपत का दस फीसद से भी कम है। मगर दुनिया की ऊर्जा मांग 2035 तक 35 प्रतिशत बढ़ने की राह पर है, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में पानी की खपत 60 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। जनसंख्या वृद्धि, अस्थिर जल निकासी, खराब बुनियादी ढांचे के कारण दुनिया के कई हिस्सों में पहले से ही अपर्याप्त सुरक्षित जल आपूर्ति है। दुनिया की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का कुल मूल्य लगभग 147 खरब डालर आंका गया है, लेकिन इनमें से 60 प्रतिशत से अधिक का ह्रास हो रहा है या उनका उपयोग अनिश्चित रूप से किया जा रहा है।

अगर हम इन प्रणालियों की देख–भाल नहीं करते तो ये सेवाएं स्वाभाविक रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी। इन प्राकृतिक सेवाओं पर निर्भर व्यवसायों को इन्हें बदलने या फिर से बनाने में अत्यधिक उच्च लागत का सामना करना पड़ेगा। एक तरफ, 2050 में बाढ़ से खतरे में पड़े लोगों की संख्या 1.6 अरब तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 45 खरब डालर की संपत्ति खतरे में है। दूसरी ओर, अनुमान है कि 2050 तक 3.9 अरब लोग गंभीर जल–तनाव से गुजर रहे होंगे।

अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और कमजोर प्रशासन के कारण मनुष्य भौतिक रूप से उपलब्ध जल आपूर्ति तक विश्वसनीय रूप से पहुंचने में असमर्थ है। आज भी 2.1 अरब लोगों की सुरक्षित पेयजल तक पहुंच नहीं है और 4.5 अरब लोगों के पास सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं का अभाव है। यानी दुनिया के लाखों कमजोर परिवार न तो साफ पानी पीते हैं, न शुद्ध खाना बना पाते हैं और न ही साफ पानी से नहाते हैं। पानी से वंचित अस्सी फीसद से अधिक परिवार पानी का संग्रहण करने के लिए महिलाओं पर निर्भर हैं। पानी के लिए औसतन 3.7 मील चलने में लगने वाला समय आय अर्जित करने, परिवार की देखभाल या स्कूल जाने में खर्च नहीं हो पाता है। इसका स्वास्थ्य और मृत्यु दर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, खासकर विकासशील देशों में छोटे बच्चों पर। हर दिन लगभग छह हजार बच्चे पानी से संबंधित बीमारियों से मरते हैं।

विभिन्न शोधों से पता चला है कि पानी और स्वच्छता में सुधार के लिए निवेश किया गया प्रत्येक एक डालर औसतन 4.30 डालर की वापसी देता है। इसलिए जरूरी है कि सरकारें भूजल के सामान्य अच्छे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संसाधन संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि भूजल तक पहुंच और उससे होने वाला लाभ समान रूप से वितरित किया जाए और यह संसाधन भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहे। ❑❑

जीडीपी दर वृद्धि से निवेश की संभावना बढ़ी

वित्तीय वर्ष 2023–24 की तृतीय तिमाही के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर ने भारत सहित विश्व के समस्त आर्थिक विश्लेशकों को चौंका दिया है। इस दौरान, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल हुई है जबकि प्रथम तिमाही के दौरान वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत एवं द्वितीय तिमाही के दौरान 7.6 प्रतिशत की रही थी। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान वृद्धि दर 4.4 प्रतिशत रही थी। साथ ही, क्रेडिट रेटिंग संस्थान ने इस वर्ष तृतीय तिमाही में 6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान एवं भारतीय स्टेट बैंक ने भी 6.9 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान जताया था। कुल मिलाकर, लगभग समस्त वित्तीय संस्थानों के अनुमानों को झुठलाते हुए सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत की रही है।

संतोषजनक है कि विनिर्माण इकाईयों की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023–24 की तृतीय तिमाही में 11.6 प्रतिशत हो गई है तथा निर्माण के क्षेत्र में वृद्धि दर 9.5 प्रतिशत की रही है। साथ ही, खनन के क्षेत्र में वृद्धि दर 1.4 प्रतिशत से बढ़कर 7.5 प्रतिशत की रही है। यह तीनों ही क्षेत्र रोजगार सृजन के क्षेत्र माने जाते हैं। अतः देश में अब रोजगार के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों में वृद्धि दर आकर्षक रही है। कृषि का क्षेत्र जरूर, विपरीत मानसून एवं अल नीनो के प्रभाव के चलते, विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है एवं कृषि के क्षेत्र में वृद्धि दर 0.2 प्रतिशत ऋणात्मक रही है। हालांकि वित्तीय वर्ष 2019–20 से लेकर 2022–23 तक कृषि के क्षेत्र में औसत वृद्धि दर 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक की रही है। परंतु, प्रकृति के आगे तो किसी की चलती नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के तृतीय तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के विशेष रूप से उद्योग क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर के आंकड़ों को देखकर तो अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि भारत आगे आने वाले वर्षों में 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर

केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लगातार किए जा रहे सुधारों के चलते एवं पूंजीगत खर्च में लगातार की जा रही बढ़ौतरी से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है।
–स्वदेशी संवाद

भारत में सकल बचत की दर वित्तीय वर्ष 2023 में 30.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 32.3 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2014 के बाद से सबसे अधिक दर रहने वाली है। अब देश में पूंजी का उपयोग अधिक दक्षता के साथ किया जा रहा है। जिससे क्रमिक पूंजी–उत्पाद अनुपात में पर्याप्त सुधार हुआ है।

हासिल करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है एवं अगले लगभग 4 साल के अंदर ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, वर्तमान में भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही, भारतीय शेयर बाजार भी बाजार पूंजीकरण के मामले में वर्तमान में विश्व में चौथे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। क्योंकि, भारत में आर्थिक विकास की तीव्र गति को देखते हुए विदेशी निवेशक एवं विदेशी निवेश संस्थान, दोनों ही भारतीय पूंजी बाजार में अपने निवेश को निश्चित ही बढ़ाएंगे।

भारत में वित्तीय वर्ष 2023–24 की तृतीय तिमाही में अनुमानों से कहीं अधिक वृद्धि दर हासिल करने के पीछे दरअसल हाल ही के समय में आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में हो रहे परिवर्तन भी मुख्य भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, इस ओर सामान्यतः विदेशी अर्थशास्त्रियों एवं वित्तीय संस्थानों का ध्यान शायद नहीं जा रहा है। हाल ही के समय में भारत में अब विभिन्न त्यौहार अत्यधिक उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। इन त्यौहारों के मौसम एवं शादियों के मौसम में भारतीय परिवारों, विशेष रूप से मध्यम वर्गीय एवं उच्च वर्गीय परिवारों के खर्च में अपार वृद्धि हो रही है। इस खर्च का पूरा पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रहा है, जिससे आर्थिक वृद्धि दर में तेजी दिखाई देने लगी है। वर्ष 2023 में दीपावली त्यौहार के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की राशि भारतीय परिवारों द्वारा खर्च की गई थी। शादियों के दौरान भारतीय परिवारों द्वारा अतिरिक्त खर्च किया जाना भी केवल भारत की ही विशेषता है, अन्य देशों में शादियों के दौरान इस प्रकार के खर्च नहीं होते हैं। दूसरे, भारत में हाल ही के समय में धार्मिक पर्यटन में अपार वृद्धि देखने में आई है, क्योंकि इन क्षेत्रों की आधारभूत संरचना में आमूल चूल सुधार हुआ है। पर्यटन के बढ़ने से न केवल रोजगार के लाखों नए अवसर निर्मित हो रहे हैं बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी अपार बल मिल रहा है। अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार, वृंदावन आदि धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की अपार वृद्धि दिखाई दे रही है। अयोध्या में तो प्रभु श्रीराम के मंदिर के शिलान्यास के बाद से लगातार औसतन प्रतिदिन 2 लाख से अधिक पर्यटक अयोध्या पहुंच रहे हैं। इससे न केवल स्थानीय बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी बल मिल रहा है।

हालांकि केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में लगातार किए जा रहे सुधारों के चलते एवं पूंजीगत खर्च में लगातार की जा रही बढ़ौतरी से भी भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख करोड़ रुपए की राशि इस मद पर खर्च की गई है जबकि वित्तीय वर्ष 2022–23 में इस मद पर 7.5 लाख करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट में पूंजीगत खर्च की राशि को बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। दूसरे, भारत में कर (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) के संग्रहण में भी अपार सुधार दिखाई दे रहा है। कर ढांचे को आसान बनाकर संबंधित नियमों के अनुपालन में सुधार कर, कर संग्रहण में 20 प्रतिशत के आसपास की वृद्धि हासिल की गई है। देश में अनौपचारिक क्षेत्र भी तेजी से औपचारिक क्षेत्र में बदल रहा है, इससे कर संग्रहण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी औपचारिक क्षेत्र में अधिक निर्मित हो रहे हैं तथा विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं।

विशेष रूप से कोरोना महामारी के खंडकाल के बाद से (वित्तीय वर्ष 2022 से वित्तीय वर्ष 2024 के बीच) भारत में औसत प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 38,257 रुपए की वृद्धि दर्ज हुई है एवं अब यह प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए को पार कर गई है। इस दौरान प्रति व्यक्ति बचत एवं पूंजी निर्माण में भी वृद्धि दृष्टिगोचर है। भारत में सकल बचत की दर वित्तीय वर्ष 2023 में 30.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2024 में 32.3 प्रतिशत से अधिक रहने की संभावना व्यक्त की गई है, जो वित्तीय वर्ष 2014 के बाद से सबसे अधिक दर रहने वाली है। अब देश में पूंजी का उपयोग अधिक दक्षता के साथ किया जा रहा है। जिससे क्रमिक पूंजी–उत्पाद अनुपात में पर्याप्त सुधार हुआ है। यह अनुपात दर्शाता है कि अतिरिक्त उत्पाद के निर्माण में कितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2012 में क्रमिक पूंजी–उत्पाद अनुपात 7.5 प्रतिशत था जो वित्तीय वर्ष 2023 में घटकर 4.4 प्रतिशत हो गया है। अतः देश में वर्तमान बचत दर को देखते हुए भारत आसानी से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष की विकास दर हासिल कर सकता है। ❑❑

प्रेस विज्ञप्ति

13वीं डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीयः सम्मेलन विफल – भारत सफल

विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन बेनतीजा रहा। सार्वजनिक खाद्यान्न भंडार का स्थाई समाधान खोजने और मत्स्य पालन सब्सिडी पर अंकुश लगाने जैसे प्रमुख मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि सदस्य देश ई–कॉमर्स व्यापार पर आयात शुल्क लगाने को लेकर रोक को और दो साल बढ़ाने लिए सहमत हुए लेकिन कई विवादास्पद मामलों में सिर्फ चर्चा ही हुई।

विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 से 29 फरवरी 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में निर्धारित किया गया था, लेकिन विभिन्न सदस्य देशों के बीच विविध मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण सम्मेलन की अवधि अतिरिक्त दो दिनों के लिए बढ़ाकर 2 मार्च 2024 तक की गई। सम्मेलन अवधि के विस्तार के बावजूद ई–कॉमर्स उत्पादों पर सीमा शुल्क स्थगित किए जाने के अलावा सम्मेलन में अन्य किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। सदस्य देशों के बहुमत से विरोध के बाद भी भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीमा शुल्क स्थगन पर सहमति दर्ज की गई। यूएई के व्यापार मंत्री की भावुक अपील के बाद यह संभव हो सका। लेकिन इस फैसले के मुताबिक सीमा शुल्क स्थगन का यह विस्तार अंतिम है। मंत्रिस्तरीय घोषणा के पैरा में वर्णित सहमति के अनुसार "सदस्यों ने मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के 14वें सत्र (एमसी 14) या 31 मार्च 2026, जो भी पहले हो, तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क नहीं लगाने की वर्तमान प्रथा को बरकरार रखने पर सहमति व्यक्त की। स्थगन एवं कार्य कार्यक्रम उसी तारीख को समाप्त हो जाएगा। मालूम हो कि यह स्थगन वर्ष 1998 से ही जारी है, क्योंकि इसे सदस्य देशों द्वारा समय–समय पर बढ़ाया जाता रहा है। और अधिक बातचीत के लिए सम्मेलन की अवधि बढ़ाई जाने के बावजूद 166 सदस्य विश्व व्यापार संगठन खाद्य सुरक्षा मुद्दे को हल करने के लिए आम सहमति पर नहीं पहुंच पाया। यह मांग भारत ने प्रमुखता से उठाई, क्योंकि भारत में 80 करोड लोगों की आजीविका के लिहाज से यह महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही अत्यधिक और क्षमता से अधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी पर अंकुश लगाने के मामले में भी कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके अलावा चीन के नेतृत्व में विकास समझौते, खाद्य सुरक्षा निवेश सुविधा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंगस के लिए स्थाई समाधान के साथ–साथ विश्व व्यापार संगठन में सुधारों के मुद्दे पर भी कोई सहमति नहीं बनी।

मत्स्य पालन सब्सिडीः मत्स्य पालन सब्सिडी को अनुशासित करने का विषय पहली बार 2001 में दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में आया था। कुछ सदस्यों ने मांग की कि समुद्र में अत्यधिक मछली पकड़ने और अत्यधिक क्षमता में योगदान देने वाली सब्सिडी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसमें अवैध, असूचित और अनियमित (आईयूयू) मछली पकड़ने में योगदान देने वाली सब्सिडी को खत्म करने का भी आह्वान किया गया। सदस्यों ने जिनेवा में 2022 के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को अपनाया, लेकिन इसे औपचारिक रूप से तभी लागू किया जा सका, जब डब्ल्यूटीओ के दो–तिहाई सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई। हालाँकि 2024 के अबू धाबी सम्मेलन में कुछ सदस्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी, लेकिन हानिकारक सब्सिडी की परिभाषा, विशेष रूप से विकसित देशों के जहाजों द्वारा दूर के पानी में मछली पकड़ने सहित कई प्रमुख मुद्दों पर डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच व्यापक मतभेद थे। पहले से दी जा रही सब्सिडी को सीमित करने पर मतभेद के कारण एमसी 13 में सहमति नहीं बन पाई।

हमारे भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सहित दुनिया के 50 करोड़ मछुआरों के हितों की रक्षा का मुद्दा उठाया और शर्त रखी कि इस समझौते को तब तक आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए जब तक कि दूर के पानी में मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी पर निर्णय नहीं लिया जाता है, आदि से पारंपरिक मछुआरों के मछली पकड़ने पर असर पड़ेगा। यह भी अनुरोध किया गया कि सदस्य देशों को अगले 25 वर्षों तक अपने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) में मछली पकड़ने पर सब्सिडी देने की अनुमति दी जानी चाहिए। चूँकि विकसित देश इनमें से किसी भी मांग के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए यह समझौता आगे नहीं बढ़ पाया।

खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंगः जब संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुछ विकसित देशों ने बाली में आयोजित 9वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत द्वारा सार्वजनिक खाद्य भंडारण के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह व्यापार को विकृत करने वाला है, तो भारत ने तर्क दिया कि यह सब्सिडी गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए है। समझौते में 1996–98 को आधार वर्ष मानकर सब्सिडी की मात्रा की गणना करने का प्रावधान है। यह भी तर्क दिया गया कि सब्सिडी की गणना की विधि भी उचित नहीं है, क्योंकि इसमें गणना करने का संदर्भ वर्ष 1986–88 है। उल्लेखनीय है कि 1986 के बाद, खाद्य उत्पादों के बाजार मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, इसलिए इस संदर्भ वर्ष को नवीनतम संदर्भ वर्ष से बदलने की आवश्यकता है जिसमें मुद्रास्फीति समायोजन के लिए अंतर्निहित तंत्र हो। इन सभी बातों को देखते हुए भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच इन आपत्तियों से राहत देने के लिए एक 'शांति खंड' पर सहमति बनी कि "विकसित देश खाद्य सब्सिडी पर तब तक कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे, जब तक इस मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं निकल जाता।"

इस सम्मेलन में सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के लिए सब्सिडी के सवाल के स्थायी समाधान का मुद्दा एजेंडे में था। विकसित देश इस बात पर अड़े थे कि खाद्य सब्सिडी के मुद्दों का स्थायी समाधान कुल उत्पादन के 10 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी की सीमा से जोड़ा जाना चाहिए। भारत अपनी जायज़ मांग पर अड़ा था कि यह सब्सिडी गरीबों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दी जा रही है

और इसे लेकर किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं किया जा सकता; बल्कि संदर्भ वर्ष को बदलने की जरूरत है। इस मुद्दे पर भारत को दुनिया के 80 देशों का समर्थन प्राप्त था, उनका कहना था कि विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में 200 गुना अधिक सब्सिडी देते हैं, इसलिए विकासशील देशों में संसाधन विहीन किसानों के लिए संरक्षण आवश्यक है। जब विकसित देशों और खाद्य अनाज निर्यातक देशों, जिन्हें केयर्न देशों के नाम से जाना जाता है, की ओर से विकासशील देशों द्वारा दी जाने वाली भोजन की सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करने की समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव अबू धाबी सम्मेलन में पेश किया गया, तो भारत ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस समय सीमा को यह कहते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के लिए सब्सिडी खाद्य सुरक्षा की कुंजी है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई।

चीन के नेतृत्व वाले आईएफडीए को भी ब्लॉक किया गयाः एम.सी–13 को चीन के नेतृत्व वाले निवेश सुविधा फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट (आईएफडीए) को संभावित रूप से अपनाने पर भारत सहित कई देशों की भारी चिंताओं का भी सामना करना पड़ा। आख़िरकार, 2 मार्च को संपन्न हुए सम्मेलन में भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इसके ख़िलाफ़ कड़ा रुख अपनाने के बाद समझौते को लेकर चिंता ख़त्म हो गई, और यह सही भी है।

यह दावा किया गया था कि आईएफडीए का लक्ष्य निवेश प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नियम बनाना था और इसे 120 से अधिक देशों ने समर्थन दिया था, जो डब्ल्यूटीओ की 70 प्रतिशत से अधिक सदस्यता का प्रतिनिधित्व करते थे। इस बहुपक्षीय समझौता का अर्थ है कि यह डब्ल्यूटीओ सदस्यों के एक चुनिंदा समूह के बीच था, लेकिन सभी के बीच नहीं।

प्रस्तावित समझौते के इरादे, सामग्री और संरचना में भयावह डिजाइन प्रतीत होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि निवेश सुविधा उपायों के लिए वैश्विक मानक बनाने की आड़ में, समझौते ने संप्रभु देशों को उनके संबंधित क्षेत्रों में एफडीआई को विनियमित करने और निगरानी करने के अधिकार से वंचित करने की मांग की।

डोकलाम के बाद भारत ने सीमा साझा करने वाले सभी देशों से एफडीआई पर कुछ शर्तें लगा दी थीं, जिसके तहत 'स्वचालित मार्ग' के स्थान पर सरकारी मंजूरी को अनिवार्य कर दिया गया था। इस उपाय ने भारत को उस देश से निवेश को प्रतिबंधित करने की अनुमति दी जिसके साथ उसका संघर्ष चल रहा था। यदि आईएफडीए लागू किया गया, तो इसमें भाग लेने वाले देश अपने–अपने हितों की रक्षा करने की स्वतंत्रता से वंचित हो सकते हैं।

यह देखा जा रहा है कि आईएफडीए पर चीन ने दबाव डाला था और छोटे देशों, विशेषकर बेल्ट रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) में भाग लेने वाले देशों को प्रभावित करके प्रस्ताव पर सहमति देने वाले अधिक से अधिक हस्ताक्षर प्राप्त किए गए हैं। यदि हम आईएफडीए के लगभग 120 हस्ताक्षरकर्ताओं की सूची देखें, तो लगभग 80 बीआरआई देश हैं। यह महत्वपूर्ण है कि पाक और श्रीलंका ने प्रस्तावित आईएफडीए पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वे बीआरआई के प्रमुख पीड़ित थे। इस बीच, दक्षिण अफ्रीका और भारत दोनों ने शुरू में आईएफडीए का जोरदार विरोध किया। डब्ल्यूटीओ के अधिकांश सदस्यों ने चीन समर्थित निवेश सुविधा योजना को अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, अंतिम दस्तावेज़ में हमें समझौते के विरोधी के रूप में केवल भारत का उल्लेख मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संप्रभुता और वैश्विक शांति की रक्षा के लिए आईएफडीए को अवरुद्ध करने की आवश्यकता थी, जो भारत करने में सक्षम था।

नए मुद्देः डब्ल्यूटीओ सुधारः विकसित देशों की ओर से डब्ल्यूटीओ वार्ता में नए मुद्दों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है, जिसे वे डब्ल्यूटीओ सुधार कहते हैं। इन मुद्दों को शामिल करना कुछ और नहीं बल्कि 'सिंगापुर के मुद्दों' को दोबारा पेश करना है, जिन्हें डब्ल्यूटीओ की शुरुआती मंत्रिस्तरीय बैठकों में पेश करने की कोशिश की गई थी, और अधिकांश सदस्य देशों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। अब "महिलाओं को सशक्त बनाने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अवसरों का विस्तार करने और इसके तीन आयामों – आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय" में सतत विकास हासिल करने के नाम पर, विकसित देश के सदस्य इसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। विकासशील देशों के अधिकार, जो उन्होंने डब्ल्यूटीओ में एक अवधि में हासिल किए हैं। उदाहरण के लिए, वे विकसित और विकासशील देशों में वंचित महिलाओं के लिए समान व्यवहार चाहते हैं, इसी तरह वे विकसित और विकासशील दोनों देशों के एमएसएमई के लिए भी समान व्यवहार की कोशिश कर रहे हैं। पर्यावरण के नाम पर उनके पास पर्यावरण उत्पादों के अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के नाम पर विकासशील देशों से निर्यात को सीमित करने के कई तरीके हैं। यह जानकर खुशी हुई कि, केवल बातचीत हुई, और इन मुद्दों पर शायद ही कोई सहमति थी। डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक सुश्री ओकोन्जो–इवेला के बारे में एक शब्द। सम्मेलन में आम धारणा थी कि डीजी अपनी संवैधानिक भूमिका की सीमा लांघ रही हैं। संवैधानिक रूप से, महानिदेशक एक अंतरराष्ट्रीय सिविल सेवक है और उसकी भूमिका बिना किसी पूर्वाग्रह के केवल बातचीत को सुविधाजनक बनाने की है। जबकि, महानिदेशक सदस्य देशों पर उन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिनके लिए वे इच्छुक नहीं थे। उनके कार्यों की विभिन्न हलकों से, और अधिक स्पष्ट रूप से नागरिक समाज संगठनों की ओर से बहुत आलोचना हुई। कुल मिलाकर डब्ल्यूटीओ में नागरिक समाज की घटती भूमिका के बारे में। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि डब्ल्यूटीओ सचिवालय को नागरिक समाज संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें अपनी माँगों पर ज़ोर देने, चिंताएँ दिखाने और विरोध करने की अनुमति नहीं थी।

डॉ. अश्वनी महाजन, *राष्ट्रीय सह–संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच*

स्वावलंबी भारत अभियान की ओर से

भारतीय उद्यमिता उत्सव आयोजित

स्वावलंबी भारत अभियान (एसबीए) और औद्योगिक विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में चैंपियन अवार्ड नामक अग्रणी उद्यमिता पुरस्कार समारोह का भव्य आयोजन किया गया। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में दिनांक 2 मार्च 2024 को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज तथा स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक श्री आर. सुंदरम की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक श्री कश्मीरी लाल, अखिल भारतीय सह–संयोजक प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा व डॉ. अश्वनी महाजन, सह संगठक श्री सतीश कुमार सहित स्वावलंबी भारत अभियान तथा स्वदेशी जागरण मंच के बड़े पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। औद्योगिक विकास संस्थान की टीम का नेतृत्व श्री मुकेश शुक्ला ने किया।

दो सत्रों में आयोजित भव्य पुरस्कार समारोह के अवसर पर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी ने आशीर्वचन प्रकट करते हुए कार्यक्रम की भूरि–भूरि प्रशंसा की। 'व्यापारे बसते लक्ष्मीः' का उद्धरण देते हुए स्वामी जी ने कहा कि 'धर्मस्य मूलं अर्थः'। जीवन की चतुर्दिक उन्नति के लिए व्यापार की व्यापकता, सर्वसुलभता, तथा जनकल्याण की उदारता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि परिश्रम एक पूजा है जो कोई भी व्यक्ति परिश्रम की पूजा में ध्यानचित् होकर काम करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। स्वामी जी ने केंद्र की वर्तमान सरकार द्वारा सनातन मूल्यों को लेकर किए जा रहे कार्यों का विशेष उल्लेख किया तथा राम मंदिर निर्माण पर हर्ष प्रकट करते हुए कामना की कि सरकार के इस कदम से अगले हजारों साल का रास्ता प्रशस्त हुआ है।

इस क्रम में अपनी बात रखते हुए श्री आर. सुन्दरम ने कहा कि भारत प्राचीनकाल में पूर्ण रोजगारयुक्त समाज रहा है। स्वदेशी की भावना से जुड़कर हम फिर से समृद्ध भारत का सपना पूरा कर सकते हैं, जिसमें हर हाथ को उसकी दक्षता, क्षमता, कार्यकुशलता के हिसाब से काम दिया जा सकता है। प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि स्वदेशी जागरण मंच द्वारा चलाए जा रहे स्वावलंबी भारत अभियान की पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि गरीबी से मुक्ति और रोजगारपरक समाज तैयार करने की दिशा में यह अभियान रामबाण साबित हो रहा है। इस मौके पर श्री सतीश कुमार द्वारा लिखित भारत@2047 का लोकार्पण भी किया गया। ❑

फ्री की रेवड़ी संस्कृति भारत को कैंसर की तरह खा जाएगाः स्वजाम

देश में लोकसभा चुनाव की हलचल के साथ ही नेताओं ने चुनावी रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया है। मुफ्त रेवड़ी कल्चर को लेकर देश में एक बार फिर चर्चा गर्म है। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा, 'मुफ्त बिजली जैसी फ्री सुविधाएं देना अर्थव्यवस्था में कैंसर की तरह है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। मंच ने कहा कि राज्य सरकारें फ्री सुविधाएं देकर संसाधनों का दुरुपयोग करती हैं।' मुफ्त चीजें बांटना हाल ही में भारत की चुनावी राजनीति में एक प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। इस तथ्य को जानने के बावजूद कि मुफ्त चीजें सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालेंगी, राजनीतिक दल चुनावों से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त चीजों की घोषणा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं।

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह–संयोजक डॉ. अश्वनी महाजन ने कहा 'विकास के लिए निर्धारित संसाधनों का दुरुपयोग विकास में बाधा बन रहा है और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां तक खर्च का सवाल है राज्य बहुत अनुशासनहीन होते जा रहे हैं।' महाजन ने कहा कि इससे केंद्र और राज्य सरकार पर कर्ज बढ़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग नीचे आ रही है। उन्होंने कहा, 'इससे हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कम ब्याज दर पर निवेश आकर्षित करना भी मुश्किल हो रहा है। अगर देश को ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़े तो वह विकास नहीं कर सकता। राज्य सरकारों के अनुशासनहीन खर्च पर पूरी रोक लगानी होगी।

https://ashwanimahajan.wordpress.com/

डब्ल्यूटीओ की बैठक से पहले स्वदेशी जागरण मंच ने की 10 सूत्री मांग

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के आयोजन से पहले स्वदेशी जागरण मंच ने 10 सूत्रीय मांगों वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। यूनाइटेड

अरब अमीरात के अबूधाबी में 26 से 29 नवंबर के बीच आयोजित होने वाले डबल्यूटीओ के कार्यक्रम में दुनिया भर के 164 देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल करने वाले हैं। इसके पहले स्वदेशी जागरण मंच ने 10 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव दिया है। इसमें मांग की गई है कि कृषि प्रधान भारत में गरीबों को भोजन के अधिकार की बहाली बरकरार रखनी चाहिए। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी भी जारी रहनी चाहिए। पर्यावरण के नाम पर कार्बन टैक्स की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सर्विस सेक्टर के लोगों को दुनिया भर में आवाजाही और कारोबार के लिए वीजा नियमों को सरल बनाए जाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा दार्जिलिंग चाय और वाइन तथा स्प्रिट को जीआई टैग हासिल करने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। साथ ही जीवन रक्षक दवाइयां का वैश्विक आयात–निर्यात सरल करने, पारंपरिक ज्ञान और जैविक संसाधनों को बढ़ावा देने पर जोर दिए जाने की मांग स्वदेशी जागरण मंच ने की है। विदेशी निवेश में चीन के गलत और दुर्भावना पूर्ण इरादे को नाकाम करने के लिए कदम उठाने और सीमा शुल्क में कटौती की मांग संगठन की ओर से की गई है।

कोलकाता में आयोजित हुए इस परिचर्चा सत्र में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्री य सहसंयोजक डॉक्टर धनपत राम अग्रवाल ने कहा कि ये तमाम मांगे केंद्र सरकार को भेजे जा रहे हैं। कार्यक्रम में श्री बड़ा बाजार कुमार सभा पुस्तकालय के कई प्रतिनिधि उपस्थित थे।

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/2/23/WTO-meeting-held-today-.php

स्वावलंबी भारत अभियान – यानि पूर्ण रोजगारयुक्त, गरीबीमुक्त और समृद्धियुक्त भारतः सतीश कुमार

राजधानी भोपाल के समाज सेवा न्यास में स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत स्वदेशी जागरण मंच द्वारा तीन

दिवसीय पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इसमें स्वदेशी स्वावलंबन अभियान से जुड़े पूर्णकालिकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण वर्ग के समापन अवसर पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह–संगठक श्री सतीश कुमार ने स्वावलंबी भारत अभियान को लेकर देश भर में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। श्री सतीश कुमार ने कहा कि पूर्ण रोजगार युक्त, गरीबी मुक्त और समृद्धि युक्त भारत, यही स्वावलंबी भारत अभियान के तीन मुख्य उद्देश्य है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत करना है, तो युवाओं को उद्यमी बनना होगा।

उन्होंने आगे कहा कि भारत युवाओं का देश है, प्रति माह लगभग 9 लाख युवा 18 वर्ष की आयु पार करके जॉब मार्केट में आ जाते हैं। किसी भी सरकार और कंपनी के लिए संभव नहीं है कि सभी को जॉब उपलब्ध करा सके। इसलिए युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमशीलता की तरफ लेकर जाना अनिवार्य है, तभी हम पूर्ण रोजगार युक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। भारत को अगर विश्व महाशक्ति बनना है तो उसकी प्रति व्यक्ति आय वर्तमान दर से तीन गुना होना आवश्यक है। इसके लिए एक ही रास्ता है कि हमारे युवा उद्यमिता में जाएं।

भारत का इस वक्त दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप ईकोसिस्टम बन गया है। लगभग 1 लाख 25 हजार रजिस्टर्ड स्टार्टअप भारत में है। यह देश के 635 जिलों से आ रहे हैं। यह अच्छी बात है। यह इस बात का संकेत है कि अगर प्रयत्न किये जाएं तो भारत में स्टार्टअप एक सामान्य कल्चर हो सकता है। स्टार्टअप के कल्चर के रूप में विकसित करने को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं।

श्री सतीश कुमार ने कहा कि हमारा सोचना है कि अगले 8 से 10 वर्षों के अंदर भारत को फिर से उद्यमियों का देश, स्टार्टअप का देश, विश्व में हम बना लेंगे। अभी विश्व में हमारी प्रसिद्धि है कि भारत किसानों का देश है, आगामी वर्षों में विश्व में यह गूंजेगा कि स्टार्टअप करना है तो भारत में जाएं। इसके लिए हमने बड़ी संख्या में पूर्णकालिक कार्यकर्ता निकाले हैं। 200 से अधिक कार्यकर्ता आ गए है, जो इस अभियान को आगे ले जा रहे हैं। युवाओं को प्रोत्साहित और प्रशिक्षित कर रहे हैं। हर जिले में स्वावलंबी केंद्र खोलने के प्रयास कर रहे हैं।

तीन दिवसीय इस पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग के उद्‌घाटन सत्र में मंच पर स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठन श्री कश्मीरी लाल, सहसंगठक श्री सतीश कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भोपाल विभाग के संघचालक श्री सोमकांत, स्वदेशी जागरण मंच के मध्य क्षेत्र संयोजक श्री सुधीर दाते के साथ–साथ स्वदेशी मेला अखिल भारतीय प्रमुख श्री सचिन्द्र वरियार, सह संयोजक श्री साकेत ठाकुर, अभियान के अखिल भारतीय समन्वयक श्री जितेन्द्र गुप्त, सह महिला प्रमुख डॉ. प्रतिभा चतुर्वेदी, क्षेत्र संगठक श्री केशव दुबोलिया, प्रांत संयोजक श्रीकांत बुधोलिया आदि शामिल हुए। वर्ग में स्वावलंबी भारत अभियान के पूर्णकालिक कार्यकर्ता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ऐसे बिंदुओं से प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम में मालवा, मध्य भारत, महाकौशल व छत्तीसगढ़ से 32 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल महाविद्यालय में आयोजित हुई इंटरनेशनल कांफ्रेंस

आर्थिक विकास की वैश्विक प्रवृत्तियां तथा उद्धमिता विकास (मेक इन इंडिया, स्टार्टअप) के माध्यम से भारतीय रणनीति की समीक्षा विषय पर ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल कॉलेज और रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 16 मार्च को अंतरराष्ट्रीय कांफ्रेंस का आयोजन किया गया। साथ ही आदिशक्ति सम्मान का आयोजन भी किया गया, जिसमें माला ठाकुर, अलका भार्गव, अर्चना परसाई गहलोत का सम्मान किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख, स्वदेशी जागरण मंच, नई दिल्ली, के श्री दीपक शर्मा 'प्रदीप', मुख्य अतिथि मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठक श्री केशव डुबोलिया, मालवा प्रांत संगठन मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निलेश सोलंकी, क्षेत्रीय संयोजक, स्वदेशी जागरण मंच, श्री सुधीर दाते उपस्थित रहें। प्रतीक राजन साइंटिस्ट, समाजसेवी ऋषभ बागोरा जिन्हें युवा शक्ति सम्मान भी दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था की चेयर पर्सन डॉ. सीमा तिवारी और अक्षांशु तिवारी द्वारा की गई । प्राचार्य डॉ. विशाल पुरोहित ने जानकारी दी कि इस कॉफ्रेंस का उद्देश्य विकसित भारत

संकल्प और मैक इन इंडिया जैसे विषयों पर स्कालरों एवं शोधकर्ताओं के रिसर्च पेपर के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को सजग करना है। टेक्निकल सेशन प्रो. रेखा आचार्य प्रो. राजेंद्र सिंह, प्रो. प्रीति सिंह, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, हरिओम वर्मा प्रांत संयोजक शाजापुर, डॉ. आशीष दवे, डॉ. चेतन रायकवार की उपस्थिति में हुआ।

समापन सत्र में प्राचार्य श्याम सुंदर पलोड, डॉ. सुरेश चोपड़ा, सचिन पाठक विशेष रूप से उपस्थित हुए। रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयर पर्सन डॉ. सौरभ जैन और नेशनल कॉर्डिनेटर डॉ. अजय जैन भी उपस्थित हुए। कार्यक्रम में 250 से अधिक शोधार्थी ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रूप में उपस्थित हुए तथा विभिन्न कॉलेजों से प्रो विपुल पटेल, प्राचार्य डॉ मंगल मिश्रा, डॉ छाया मिश्रा, डॉ सौरभ पारीख, प्रोफेसर जाजू प्रोफेसर अजय सोनी की उपस्थिति रही कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र – छात्राओं के द्वारा 17 सतत विकास के लक्ष्यों पर प्रदर्शनी को भी दिखाया गया कार्यक्रम संस्था के प्रोफेसर राजेश सोडानी कनवेनर, प्रो. उर्वशी लोहानी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेट्री और संस्था के सदस्यों द्वारा संपन्न हुआ, कार्डिनेटर प्रो. प्रणिता जैन द्वारा संचालन किया गया और आभार संस्था के प्राचार्य डॉ. विशाल पुरोहित द्वारा माना गया।

कार्यशाला में दिया ईको फ्रेंडली गुलाल बनाने का प्रशिक्षण

होली के पर्व पर आज बाजार में मिलने वाले रंगों से कई प्रकार के त्वचा रोग हो जाते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। कई कई दिन तक छूटता नहीं है, सिर में भारीपन दर्द होने लगता है, आंख या मुंह में चला जाए तो बड़ी हानि भी हो सकती है, ऐसे हानिकारक गुलाल की अपेक्षा हमारा यह हर्बल गुलाल पूर्णतः प्राकृतिक फूल पत्ती और अनाज से बना रंग हर तरह से सुरक्षित, हानिरहित, खुशबूदार और बाजार के गुलाल से आधी कीमत में बन जाता है। इससे तो भगवान कृष्ण ने भी होली खेली थी। उक्त बात यामिनी सेठा ने स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत प्राकृतिक आर्गेनिक इको फ्रेंडली गुलाल बनाने की कार्यशाला में कही।

कार्यशाला का आयोजन श्री बजरंग व शंकर मंदिर ट्रस्ट, कसेरा समाज मोरछली चौक नर्मदापुरम में किया गया जिसमें हर्बल गुलाल हरी पालक, चुकंदर, गेंदा, गुलाब पलाश के फूलों, गुलाब जल, इत्र अरारोट आदि से बनाने की सरल विधि बताई। प्रशिक्षण ज्योति मालवीय और यामिनी सेठा ने दिया। कार्यक्रम में संगीता वर्मा, शालिनी नाईक, नीरज सिंह भदौरिया, भदौरिया, योगेश मोहन सेठा, संजय शर्मा, हेमंत दुबे, इंद्र मोहन दुबे, सचिन मिश्रा, कु. तनिष्का सेठा, तनुल सेठा, पीकू राजपूत, उपाध्याय व महेंद्र सिंह रघुवंशी, दीप सिंह यादव, महेंद्र पटेल, प्रमोद चंद्रवंशी उपस्थित रहे।

रोजगार पाने वाले नहीं, बल्कि देने वाले बनोः डॉ. राजीव

सीतापुर (उ.प्र.) शहर के केशव ग्रीन सिटी में स्वदेशी जागरण मंच तथा जिला स्वाबलंबन केंद्र का उद्घाटन स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय सह समन्वयक तथा स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय विचार प्रमुख डा. राजीव कुमार के द्वारा नारियल फोड़ कर मंत्रोच्चारण के बीच फीता काट कर किया गया।

इस मौके डा. राजीव कुमार ने कहा कि यह दोनों संस्थाएं युवाओं को रोजगार की राह दिखाती है। आज के युवा नौकरी की ओर भागते हैं लेकिन अगर आप अच्छे व्यवसायी बनते हैं तो आप खुद भी रोजगार पाएंगे और इसी में आप दूसरों को भी रोजगार देंगे। इसलिए आप रोजगार पाने वाले नहीं, बल्कि देने वाले बनें। इस मौके पर जिला स्वावलंबन केंद्र के जिला समन्वयक तथा समाजसेवी व प्रमुख व्यवसायी मुकेक्ष अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में जो भी मेहनत करता है वह नित नई ऊंचाइयां छू सकता है। उन्होंने उदाहारण के तौर पर बताते हुए कहा कि उन्हीं के स्वावलंबन केंद्र की बदौलत वरूण वाटर सप्लाई का कार्य शुरू हुआ था, जो आज करीब डेढ़ करोड़ की लागत तक पहुंच गया है। उसका आज उद्घाटन भी किया गया और कार्यक्रम के सभी लोगों ने उसे देखा भी तथा कार्य करने वाले राहुल अग्रवाल की पीठ भी थपथपाई। इस कार्यक्रम के बाद अवध प्रांत कार्यकारिणी की बैठक भी हुई। जिसमें अन्य मुददों पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर प्रहलाद नारायण अग्रवाल, विभाग संघचालक डा. हरपाल जी, विभाग कार्यवाहक कृष्ण कुमार प्रजापति, जिला संघ चालक उमाकांत मिश्रा, वंशीधर मिश्र, अमित सिंह, श्रीमती रीता मित्तल, मोनिका आनंद, डा. दया श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, रोहित शुक्ला, कंचना पांडेय, सुशील अग्रवाल आदि तमाम लोग मौजूद रहे। ❑❑

पूर्णकालिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग

सचित्र झलक

नई दिल्ली

पश्चिम बंगाल (उत्तर)

चर्चा बैठक

सम्मेलन असफल - भारत सफल (दिल्ली)

स्वदेशी पत्रिका डाक तिथि 15–16 मार्च 2024
एल.पी.सी. दिल्ली, दिल्ली पी.एस.ओ., दिल्ली आर.एम.एस. दिल्ली–06
प्रकाशन तिथि : प्रत्येक माह 10 तारीख

डाक पंजी. संख्या DL-SW/01/4074/2021-23
रजि. आर.एन.आई. पंजी. संख्या 64697/96

स्वदेशी गतिविधियां

भारतीय उद्यमिता उत्सव

भारत मण्डपम, नई दिल्ली (मार्च 2, 2024)

सचित्र झलक

स्वदेशी जागरण मंच की टीम का डब्ल्यूटीओ मंत्रीस्तरीय दौरा

आबू धाबी, यूएई

प्रकाशक व मुद्रक डॉ. अश्वनी महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण समिति के लिए काम्पीटेंट बाईन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली से मुद्रित और धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, रामाकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022 से प्रकाशित, संपादकः अजेय भारती